

 राजस्थान सरकार प्रत्येक वर्ष	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 14, मंगलवार, शाके 1930—फरवरी 3, 2009 Magha 14, Tuesday, Saka 1930—February 3, 2009	भाग 4 (ब)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधारी प्रारूपण) विभाग

(मुप-2)

अधिसूचना

जोधपुर, फरवरी 3, 2009

रांख्या प2(9)विधि/2/2009—राजस्थान राज्य विधान—मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जनवरी, 2009 को प्राप्त हुई, एतद्वारा रावसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है—

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009

(2009 का अधिनियम रांख्यांक 2)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 31 जनवरी, 2009 को प्राप्त हुई]

जोधपुर शहर तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्रों को भिन्नाकर जोधपुर रीजन बनाने, जोधपुर रीजन के समुचित, सुव्यवरिथत तथा सत्वर विकास के लिए योजना बनाने, उनमें सम्बन्ध रथापित करने और उसका पर्यवेक्षण करने और ऐसे विकास के लिए योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों को निष्पादित करने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

यह जोधपुर शहर और उसके निकटवर्ती क्षेत्र क्रमिक रूप से विकसित और आवाद होते जा रहे हैं और इस बात की पर्याप्त आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसे क्षेत्रों को जोधपुर रीजन का रूप दे दिया जाये और इन क्षेत्रों के समुचित, सुव्यवरिथत और सत्वर विकास के लिए योजनाएं बनाने, उनमें सम्बन्ध रथापित करने तथा उनका पर्यवेक्षण करने के लिए, जिसके लिए वर्तमान में अनेक सरकारी विभाग, राजनीय प्राधिकारी और अन्य संगठन अपनी—अपनी अधिकारिताओं के भीतर कार्यशील हैं, एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना की जाये और यह उपबन्ध भी किया जाये कि ऐसा प्राधिकरण रवय या किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से जोधपुर रीजन के विकास से संबंधित योजनाएं, परियोजनाएं और स्कीमों बनाने और उनका निष्पादन करने में समर्थ हो सके ताकि

आगामी सन् 2023 तक या उसके पश्चात् की अवधि के लिए भी, जिसमें
मध्यवर्ती चरण भी समिलित होंगे जोधपुर रीजन की जनसंख्या के लिए
आवासन, सामुदायिक सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं और अन्य अवस्थापनों
की सुचारू रूप से व्यवस्था हो सके और कि उपर्युक्त प्रयोजनों से संबंधित
मामलों का उपचार किया जाये;

भारत गणराज्य के उन्नतवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान—मण्डल
निम्नालिखित अधिनियम बनाता है, अर्थात् :-

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ।— (1) इस अधिनियम का नाम
जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 है।

(2) इसका प्रसार जोधपुर रीजन क्षेत्र पर होगा।

(3) यह 30 अगस्त, 2008 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषा।— यह तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस
अधिनियम में—

(1) “कृषि” में उद्यान कृषि, फल-कृषि, बीज-कृषि, दुध-
उद्योग, उद्यान-कर्म, वनोद्योग, पशु-प्रजनन अथवा भूमि का
पौधशाला या गोधर के रूप में उपयोग अथवा भूमि का ऐसा
कोई अन्य उपयोग समिलित है जो उस पर खेती के या
अन्य कृषिक प्रयोजनों का अनुषंगी हो, तथा शब्द “कृषिक”
का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(2) “सुख-सुविधाएं” में सड़कें, पुल, संचार के कोई अन्य साधन,
यातायात, गलियाँ, खुले रथान, पार्क, आगोद-प्रगोद के रथल,
हेलकूट के गैदान, जल, गैरा तथा विद्युत प्रदाय, ऊर्जा का कोई
रोत, गली प्रकाश व्यवरथा, मल-बहन, जल- निकास, मल
सफाई, सार्वजनिक निर्माण कार्य और ऐसी अन्य उपयोगिताएं,
सेवाएं एवं सुविधाएं आती हैं जिनका इस अधिनियम के प्रयोजन
के लिए राज्य सरकार प्राधिकरण के परामर्श से राजपत्र में
अधिसूचना द्वारा सुख-सुविधा होना विनिर्दिष्ट करे;

(3) “प्राधिकरण” से धारा 3 के अधीन गठित जोधपुर विकास
प्राधिकरण अभिप्रेत है;

- (4) "भवन-संकार्य" में भवनों के पुनर्निर्माण-संकार्य, संरचनात्मक परिवर्तन या भवनों के परिवर्धन और भवनों के निर्माण के राष्ट्रधर्म में हाथ में लिये गये अन्य रांकार्य सम्बलित हैं;
- (5) "विकास" से, इसके व्याकरणिक रूप गेदों सहित, भूमि (जिसमें नदी, झील या अन्य कोई जल के अधीन भूमि सम्बलित है) में उसके नीचे या उस पर की जाने वाली कोई भी भवन रांक्रियाएं, इंजीनियरी, खनन या अन्य रांक्रियाएं या किसी भवन या भूमि के उपयोग में कोई तात्परिक परिवर्तन और किसी भूमि का पुनर्विकास और अभिन्यास और उप-विभाजन तथा कृषि, उद्यान-कृषि, फूलों की खेती, बन लगाना, दुग्ध विकारा, कुकुट पालन, सूअर पालन, पशु प्रजनन, मत्त्वा पालन और अन्य ऐसी ही क्रियाएं अभिप्रेत हैं; और "विकास करने/करना" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;
- (6) "विकास क्षेत्र" से धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन इस रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें स्कौमों, परियोजनाओं द्वारा या अन्यथा, किसी समुचित कालावधि के भीतर विकास का किया जाना प्रतावित है;
- (7) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
- (8) "जोधपुर रीजन" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट शहरों, नगरों और गांवों की सीमाओं में के क्षेत्र अभिप्रेत हैं। राज्य सरकार रानथ-समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा उस अनुसूची को ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र को जोड़कर या उसमें से हटाकर संशोधित कर सकेगी, और इसके उपरान्त उपान्तरित क्षेत्र जोधपुर रीजन होगा;
- (9) "भूमि" में भूमि से उत्पन्न फायदे और जमीन से संलग्न यस्तुएं या जमीन से रथायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं सम्बलित हैं;
- (10) "रथानीय प्राधिकारी" से नगरपालिका या पंचायत अभिप्रेत हैं;
- (11) "नगरपालिका" से राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 10) के अधीन जोधपुर रीजन में स्थापित नगरपालिका अभिप्रेत हैं;
- (12) "अधिभोगी" के अन्तर्गत आता है,-
 (क) स्थानीय अथवा कोई व्यक्ति जो अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के सिवाय किसी भवन या भूमि के

स्वामी को किराया संदत्त कर रहा हो या संदाय करने का दायी है;

- (ख) कोई भी व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के स्वामी को ऐसे किसी संपूर्ण भवन या भूमि का या उसके किसी भाग का रात्रोप अधिगोग करने के लिए नुकसानी का संदाय करने का दायी हो; या
- (ग) किसी भवन या भूमि का किराया मुक्त अधिगोगी;
- (13) "रवामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के सिवाय, चाहे अपने स्वयं के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए या किसी धार्मिक अथवा पुण्यार्थ संरथा के लिए एक अभिकर्ता, न्यारी, संरक्षक, प्रबन्धक अथवा रिसीवर के रूप में किसी भवन या भूमि का किराया या लाभ प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है;
- (14) "पंचायत" से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का राजस्थान अधिनियम सं. 13) के अधीन जोधपुर रीजन में रथापित कोई पंचायत अभिप्रेत है;
- (15) "योजना" से इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी अथवा तैयार की हुई समझी गयी कोई पार्टर योजना या जोनल विकास योजना अभिप्रेत है और अभिव्यक्त "कोई योजना" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;
- (16) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (17) "लोक प्रयोजन" में ऐसा कोई भी प्रयोजन समिलित है जो जनता या जनता के किसी वर्ग या प्रवर्ग और इस अधिनियम के अधीन किसी योजना, परियोजना अथवा रकीम में आरक्षित या अभिहित भूमि की अपेक्षा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोगी है;
- (18) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम अभिप्रेत हैं;

- (19) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं;
- (20) "अधिकरण" से इस अधिनियम के उपचन्द्रों के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत हैं;
- (21) "जोन" से उन खण्डों में से कोई खण्ड अभिप्रेत है जिनमें जोधपुर रीजन को इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाये;
- (22) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का जिनका इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ लगाया जाएगा जो उनको राजस्थान नगर सुधार आयोजनार्थी अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) और राजस्थान नगरपालिका अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 10) में दिया गया है।

अध्याय 2

प्राधिकरण की स्थापना और गठन

3. जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी जो "जोधपुर विकास प्राधिकरण" कहलायेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है)।

(2) उक्त प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निर्गमित निकाय होगा जिसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा और जिसको सामान्य मुहर होगी और जिसे इस अधिनियम के उपचन्द्रों के अध्यधीन जंगम तथा रथावर दोनों प्रकार की संपत्तियों का अर्जन, धारण एवं व्यापन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद चला सकेगा और उसके पिरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा।

(3) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) में यथापरिभाषित शब्दों "स्थानीय प्राधिकारी" के अर्थान्तर्गत प्राधिकरण को स्थानीय प्राधिकारी समझा जायेगा।

4. जोधपुर विकास प्राधिकरण की संरचना— (1) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

- (i) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष;
 - (ii) उपाध्यक्ष, जोधपुर विकास आयुक्त, जोधपुर;
 - (iii) प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन (विकास और आवासन विभाग) या उराका प्रतिनिधि जो उप सचिव से नीचे की रेंक का न हो;
 - (iv) उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जोधपुर;
 - (v) अपर मुख्य अभियंता, लोक स्वारक्ष्य अभियान्त्रिकी विभाग, जोधपुर;
 - (vi) अपर मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर;
 - (vii) जिला कलकटर, जोधपुर;
 - (viii) मुख्य महाप्रबंधक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर;
 - (ix) अध्यक्ष / प्रशासक, नगर निगम, जोधपुर;
 - (x) जिला प्रमुख, जिला परिषद, जोधपुर;
 - (xi) उप नगर नियोजक, जोधपुर; और
 - (xii) सात से अधिक गैर-सरकारी सदस्य, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।
- (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त राज्य सरकार यदि वह उचित समझे तो किसी कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को भी प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त कर सकती।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण की ओर से समस्त कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त किए गए हों और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्राधिकरण विनियमों द्वारा समय समय पर अवधारित करे। वह इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित

समितियों और प्राधिकरण के अधिकारियों के विनिश्चयों का, प्राधिकरण द्वारा उसकी अगली बैठक में पुष्टिकरण के अध्यधीन रहते हुए, उपांतरण भी कर सकेगा।

(4) उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्राधिकरण का अध्यक्ष आदेश द्वारा उसे प्रत्यायोजित करे और वह अध्यक्ष की अनुपरिधि में अध्यक्ष के कृत्यों का रामादन और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(5) सदरस्य प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या निकाय की बैठकों में हाजिर होने या सदरस्य के रूप में किन्हीं अन्य कृत्यों का रामादन करने में किए गए व्यक्तिगत छवि के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो विहित किए जाएं।

(6) जब कोई व्यक्ति किसी पद को धारण करने के आधार पर या संसद या विधान मण्डल या किसी रथानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी, निगम, परिषद्, बोर्ड या निकाय का, चाहे वह नियमित हो या नहीं, सदरस्य होने के कारण प्राधिकरण का सदरस्य हो जाता है या नामनिर्देशित किया जाता है तो वह, यथारिथति, ऐसे पद का धारक या सदरस्य न रहने पर प्राधिकरण का सदरस्य भी नहीं रहेगा।

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न प्राधिकरण का कोई भी सदरस्य किसी भी समय अध्यक्ष को खाये द्वारा लिखित संबोधन द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा किन्तु वह तब तक सदरस्य बना रहेगा जब तक अध्यक्ष द्वारा उसका त्याग-पत्र रवीकार न कर लिया जायें।

(8) उप-धारा (1) के खण्ड (xii) के अधीन नामनिर्देशित प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी:

परन्तु उस दशा में जब उपर्युक्त किसी सदरस्य का पद मृत्यु हो जाने, हटाये जाने, त्याग-पत्र दे देने के कारण या अन्यथा रिक्त हो गया हो तो रिक्ति को उप-धारा (1) के खण्ड (xii) के उपबन्धों के अनुसार नये नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

(9) प्राधिकरण या उसके किसी बोर्ड, समिति या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही किसी भी समय केवल इस आधार पर

अधिकारियों नहीं समझा जायेगा कि प्राधिकरण या ऐसे निकाय के किसी सदस्य का नामनिर्देशन या नियुक्ति नहीं की गई है या किसी अन्य कारणवश प्राधिकरण या ऐसे निकाय के गठन के या वैठक के समय वह अपना पद संगालने के लिए उपलब्ध नहीं है या कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से सदस्य है या प्राधिकरण या ऐसे निकाय के किन्हीं सदस्यों के पदों की एक या अधिक रिवितरां हैं।

5. प्राधिकरण की वैठकों— (1) प्राधिकरण की छह मास में कम से कम एक बार वैठक ऐसे रथान पर और ऐसे समय पर होगी जो अध्यक्ष विनियोगित करे; और धारा 6 के उपकरणों के अधीन रहते हुए उसकी वैठक के कार्य संचालन (गणपूर्ति को रामिलित करते हुए) संबंधी प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन किया जायेगा जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।

(2) अध्यक्ष या उसकी अनुपरिथिति में उपाध्यक्ष प्राधिकरण की प्रत्येक वैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि विनियोगी कारणवश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों किसी वैठक में उपरिथित होने में अरामर्थ हों तो प्राधिकरण का कोई अन्य रादरय, जो वैठक में उपरिथित उसके रादरणों द्वारा नियोगित किया जाए, वैठक की अध्यक्षता करेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति— (1) प्राधिकरण का बोर्ड रादरय, जो प्राधिकरण द्वारा या उसके निमित्त की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा, उधार, प्रबन्ध या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शेयर अथवा धन संबंधी अन्य हित रखता है या अर्जित करता है, प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा:

परन्तु किसी सदस्य को केवल इसी कारण ऐसा शेयरधारी या हितधारी नहीं समझा जायेगा कि वह ऐसी किसी संविदा, उधार, प्रबन्ध या प्रस्ताव में किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/समुदायन का शेयरधारी है या कि वह स्वयं या उसका कोई संबंधी प्राधिकरण द्वारा या उसके निमित्त नियोजित है या कि प्राधिकरण के रादरय की हैसियत से उसका ऐसा कोई शेयर या हित है या कि उसकी सम्पत्ति या ऐसी कोई सम्पत्ति जिसमें उसका शेयर या हित है, करार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि

के अनुसार प्राधिकरण द्वारा या उसके निमेत्त अर्जित की या पट्टे पर ली जाती है अथवा की या ली जा रही है।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाये कि क्या प्राधिकरण का कोई सदर्श्य, उप-धारा (1) में उल्लिखित निरहृताओं के अधीन आ गया है तो यह प्रश्न राज्य सरकार को विनिश्चय के लिए भेजा जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

7. कार्यकारी समिति का गठन और शक्तियाँ।— (1) प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदर्श्य होंगे, अर्थात्:—

- (i) अध्यक्ष, जो जोधपुर विकास आयुक्त होगा;
- (ii) प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन (विकास तथा आवासन) का प्रतिनिधि जो उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो;
- (iii) सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण (जो समिति का सदर्श्य सचिव होगा);
- (iv) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर राजस्थान;
- (v) मुख्य अभियन्ता, लोक रखारथ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर राजस्थान;
- (vi) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक या उसका प्रतिनिधि जो मुख्य अभियन्ता के पद से नीचे का न हो;
- (vii) प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड या उसका प्रतिनिधि जो महाप्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो;
- (viii) प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम या उसका प्रतिनिधि जो महाप्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो;
- (ix) उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर;

- (x) प्राधिकरण का निदेशक, अभियांत्रिकी;
- (xi) प्राधिकरण का निदेशक, नगर नियोजन;
- (xii) प्राधिकरण का निदेशक, वित्त;
- (xiii) प्राधिकरण का निदेशक, विधि;
- (xiv) कलकटर, जोधपुर;
- (xv) पुलिस अधीक्षक, जोधपुर; और
- (xvi) आयुक्त, नगर निगम, जोधपुर:

परन्तु जहां नगर निगम जोधपुर के लिए कोई प्रशासक नियुक्त किया गया हो वहां वह सदरम्य होगा।

(2) कार्यकारी समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:-

- (i) प्राधिकरण के डिवीजनों और क्रियाशील इकाइयों का संगठन;
- (ii) विनियमों के प्रारूप तैयार करना और प्राधिकरण को उनके बनाने की सिफारिश करना;
- (iii) जोधपुर रीजन विकास निधि का प्रचालन;
- (iv) परियोजनाएं और स्कीमें तैयार करना;
- (v) परियोजनाओं और स्कीमों के लिए निविदाएं स्वीकार या अस्वीकार करना;
- (vi) सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के अधीन पदों का सृजन ऐसे स्तर तक करना जो विनियमों द्वारा अवधारित हो;
- (vii) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित धनराशि उधार लेना और पुनः उधार लेना;
- (viii) जोधपुर रीजन विकास निधि की अतिशेष राशि का विनियोजन;
- (ix) परियोजनाओं और स्कीमों के लिए किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति को अनुदान, धन संबंधी सहायता, उधार या अग्रिम देना या उसके खंचों में हिस्सा देना;

- (x) प्राधिकरण के निमित्त विधिक कार्यवाही संस्थित करना या प्रत्याहृत करना; और
- (xi) अपने अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियों या कृत्यों में से किसी का प्रत्यागोजन करना।
- (3) कार्यकारी समिति इस आधेनियम के अन्य उपचन्द्रों के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो प्राधिकरण द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।
- (4) कार्यकारी समिति की बैठक ऐसे रथान और ऐसे समय पर होगी जैसा कि उसके अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाये और कार्य संचालन रांची प्रक्रिया के ऐसे नियमों का उनुपालन करेगी जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

8. जोधपुर विकास आयुक्त, निदेशकों, राजिय आदि की नियुक्ति।— (1) राज्य सरकार अपने किसी अधिकारी को जोधपुर विलास आयुक्त के रूप में ऐसे बेतन और भल्तों पर और सेवा के ऐसे निवन्धनों और शर्तों पर नियुक्त करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायें, वह प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्राधिकरण या कार्यकारी समिति या किसी अन्य समिति या किसी कृत्यकारी बोर्ड या उसके किसी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर समय-समय पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों सहित प्राधिकरण के समरत अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा। वह प्राधिकरण को देय समरत राशियों के संग्रह और उसके द्वारा संदेय समरत राशियों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा। वह प्राधिकरण की नकद शेष राशि सहित समस्त आरितियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उपर्युक्त शक्तियों और कर्तव्यों तथा प्राधिकरण या कार्यकारी समिति या किसी अन्य समिति या किसी कृत्यकारी बोर्ड या उसके किसी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों तथा कर्तव्यों के अलावा वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग, निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

- (i) प्राधिकरण की प्रवर्तन इकाइयों का प्रबन्ध और पर्यवेक्षण करना;

- (ii) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्राधिकरण या यथारिति, कार्यकारी समिति द्वारा खीकृत संख्या के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति जिसमें प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार उनको हटाया जाना, पदच्युत किया जाना या अन्यथा दण्ड देना भी समिलित है;
- (iii) प्राधिकरण के प्रबन्ध के लिए आन्तरिक प्रक्रिया प्रख्यापित करना;
- (iv) प्राधिकरण की परियोजनाओं एवं रक्तीमों का प्रशारान;
- (v) प्राधिकरण की ओर से इस अधिनियम के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित अनुझा देना या उसे देने से इनकार करना;
- (vi) निविदाएं आमंत्रित करना, उनकी संवीक्षा करना और उनका मूल्य, यदि एक करोड़ रुपये से अधिक न हो तो उनका अनुमोदन करना या उनको रद्द करना और यदि मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक हो तो कार्यकारी समिति को सिफारिश करना;
- (vii) प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से करार करना और संविदाएं करना; और
- (viii) अन्य सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को करना जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) जोधपुर विकास आयुक्त को सहयोग और सलाह देने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति करेगी:-

- (i) निदेशक, अभियांत्रिकी जो सिविल संनिर्माण मुख्य अभियंता के पद से नीचे का नहीं होगा;
- (ii) निदेशक, नगर नियोजन जो वरिष्ठ नगर नियोजक और रथापत्य सलाहकार के पद से नीचे का नहीं होगा;
- (iii) निदेशक, वित्त जो वरिष्ठ लेखाधिकारी की रैंक से नीचे का नहीं होगा; और

(iv) निदेशक, विधि जो जिला न्यायाधीश या राजस्थान राज्य विधिक सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार प्राधिकरण के लिए सविव की नियुक्ति करेगी जो कार्यकारी समिति, अन्य समितियों, यदि कोई हों, और समरत कृत्यकारी बोर्डों के सविव के रूप में भी कार्य करेगा। वह जोधपुर विकास आयुक्त के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षाधीन रहते हुए प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, समरत कृत्यकारी बोर्ड, प्राधिकरण की समितियों या किसी निकाय का कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा और उससे सुसंगत समरत अभिलेखों के साथ कार्यवृत्त पुरितका रखेगा और ऐसी सवित्यों का प्ररोग, ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, जोधपुर विकास आयुक्त गा किसी कृत्यकारी बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

(4) राज्य सरकार जयपुर विकास आयुक्त की सहायता के लिए एक या अधिक अपर आयुक्त और अपर सविव भी नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उनको जोधपुर विकास आयुक्त द्वारा प्रत्यायोजित किए जायें।

(5) उप-धारा (2), (3) और (4) के अधीन नियुक्त अधिकारियों को प्राधिकरण का अधिकारी रामजा जायेगा और उनके वेतन और भत्ते तथा उनके सेवा संबंधी नियंत्रण और शर्ते ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायें।

9. कर्मचारिवृंद आदि की संख्या का अवधारण— प्राधिकरण या उसके द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की जाने पर कार्यकारी समिति, समय-समय पर, धारा 8 में निर्दिष्ट अधिकारियों के सिवाय, कार्यकारी समिति, किसी अन्य समिति, कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय सहित प्राधिकरण के अधीन के समरत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन जैसा वह आवश्यक समझे, सरकार के पूर्व अनुमोदन से मंजूर कर सकेगी। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्त, संवर्ग संख्या और शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य ऐसे होंगे जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

10. समितियों का गठन।— (1) प्राधिकरण ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों और कृत्यों के लिए जो कि प्राधिकरण के द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, समितियों का गठन कर सकेगा जिनमें समरत सदस्य उक्त प्राधिकरण के या कुछ सदस्य प्राधिकरण के और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे।

(2) इस धारा के अधीन गठित समितियों की बैठक ऐसे स्थान और समय पर होगी और ऐसी बैठक में कार्य संचालन संबंधी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुपालन होगा जो विनियमों द्वारा उपवन्धित किये जायें।

(3) समितियों के सदस्यों को बैठक में उपरिथत होने या समिति के अन्य कार्य करते समय किये जाने वाले व्यक्तिगत खर्चों के लिए ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जो विहित किये जायें।

11. आदेशों आदि का अधिप्रमाणन।— प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, अन्य समितियों और कृत्यकारी बोर्ड की कार्यवाहियों का अधिप्रमाणन, प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, अन्य समिति या कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष या, यथास्थिति, इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत उसके किसी सदस्य के हस्ताक्षरों द्वारा होगा और प्राधिकरण के समरत आदेश एवं लिखतों को जोधुपर विकास आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

12. सलाह के लिए सरकारी और रथानीय प्राधिकारी के अधिकारियों को आमंत्रित करने के लिए उपबन्ध।— प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, जोधुपर विकास आयुक्त या कृत्यकारी बोर्ड अपनी बैठक या बैठकों में हाजिर होने के लिए राज्य सरकार या रथानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी मामले या मामलों में सहायता करने या सलाह देने के प्रयोजनार्थ विशिष्ट या रथानीय आमंत्रिती बना सकेगा। इस प्रकार आमंत्रित अधिकारी या व्यक्ति बैठक की कार्यवाहियों में भाग ले सकेंगे किन्तु उन्हें भत्ता देने का अधिकार नहीं होगा।

अध्याय 3

कृत्यकारी बोर्ड का गठन

13. जोधपुर यातायात नियन्त्रण बोर्ड की रथापना— (1) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण की रथापना के तुरन्त पश्चात् राज्य सरकार आदेश द्वारा प्राधिकरण के अधीन एक कृत्यकारी बोर्ड का गठन करेगी जिसका नाम “जोधपुर यातायात नियन्त्रण बोर्ड” होगा।

(2) जोधपुर यातायात नियन्त्रण बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्—

- (i) अध्यक्ष, जो जोधपुर विकास आयुक्त होगा;
- (ii) सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण;
- (iii) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जोधपुर, राजस्थान;
- (iv) महाप्रबन्धक (प्रबालन), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर जोन;
- (v) अपर मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजस्थान ;
- (vi) अपर मुख्य अभियंता, लोक रवारथ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर ;
- (vii) जोधपुर विद्युत् पितारण निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि जो अपर मुख्य अभियंता के पद से नीचे का न हो;
- (viii) प्राधिकरण का निदेशक, अभियांत्रिकी;
- (ix) प्राधिकरण का निदेशक, नगर नियोजन;
- (x) प्राधिकरण का निदेशक, वित्त;
- (xi) जिला सजिस्ट्रेट, जोधपुर;
- (xii) पुलिस अधीक्षक, जोधपुर;
- (xiii) अध्यक्ष / प्रशासक, नगर निगम, जोधपुर; और
- (xiv) दो व्यक्ति, जो प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जायेंगे।

(3) जोधपुर यातायात नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:—

- (i) जोधपुर शहर में यातायात नियंत्रण के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उसके कार्यान्वयन के लिए क्रमबद्ध रीति रो कदम उठाना;
- (ii) यातायात नियंत्रण व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना;
- (iii) हल्की और भारी गाड़ियों के यातायात लाइसेंस जारी करने के लिए नीति अधिकथित करना;
- (iv) इकतरफा यातायात की नीति अवधारित करना, कुछ राड़कों पर कतिपय प्रकार के यातायात कतिपय समय के लिए निर्बंधित करना, कुछ सड़कों को कतिपय गाड़ियों के लिये बर्जित करना, पार्किंग रथान, स्टैण्ड, रुकने का रथान और राईकिल मार्ग और उससे सम्बद्ध अन्य मामलों का अवधारण करना;
- (v) संकेत—विहन, रोध और गतिरोध लगाने के लिए दिशा—निर्देश अधिकथित करना;
- (vi) विभिन्न प्रयोजनों के लिए किरी व्यवित, सरकारी विभाग (केन्द्रीय या राज्य), किरी रथानीय प्राधिकारी या किरी अन्य निकाय को सड़क काटने के लिए अनुज्ञा देना और उसके लिए शर्त अधिरोपित करना;
- (vii) यातायात के खतरों, अवरोधों को तोड़ना और ऐसे मामलों में विनियमों के अनुसार प्रतिकर अवधारित करना;
- (viii) यातायात नियंत्रण और यातायात शिक्षा के लिए नागरिकों और ख्याति प्राप्त संस्थाओं से, सलाह देने और निधि इकट्ठी करने के लिए नियमों के अनुसार सहायता मांगना;
- (ix) यातायात शिक्षा की व्यवस्था करना; और

(x) यातायात के सुधार और नियंत्रण से सम्बन्धित अन्य समरत क्रियाकलाप और कृत्य करना जो प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किये जायें।

14. अन्य कृत्यकारी बोर्ड का गठन और शब्दियाँ:- (1) प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राधिकरण की सलाह पर राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा (i) परिवहन तथा रांचार बोर्ड (ii) जल-पोत प्रबन्ध बोर्ड (iii) आवासन, नगरीय नवीकरण, इकोलॉजी बोर्ड और ऐसे नामों से, जिन्हें विनिर्दिष्ट करना वह ठीक समझे, राज्य-समय पर अन्य कृत्यकारी बोर्ड का गठन करेगी जिनमें प्रत्येक में, उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित सदरय होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष और इसने अन्य सदरय (पांच से अधिक नहीं) होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें। सदरयों में से कम से कम दो ऐसे होंगे जो कृत्यकारी बोर्ड द्वारा राष्ट्रादित विषय के बारे में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों।

(3) राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना ठीक समझे तो, उप-धारा (1) के अधीन गठित किसी कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदरय की नियुक्ति राष्ट्रादित कर राखेगी या किसी भी समय उसका पुनर्गठन कर राखेगी।

(4) प्रत्येक कृत्यकारी बोर्ड अपने कार्य द्वेष के विषयों या क्षेत्रों के संबंध में-

(क) परियोजनाएं और रक्षीमें बनाएगा, उन्हें परिलक्षित करेगा, सर्वेक्षण प्रारम्भ करेगा और अन्वेषणों का संचालन करेगा (रख्य या किन्हीं अन्य समुचित एजेन्सियों को लगाकर) तथा प्राधिकरण के विचारार्थ विनिधान प्रयोजनों के लिए कार्यक्रम एवं प्रस्ताव तैयार करेगा जिसमें उसके निष्पादन के लिए लगाये जाने वाले प्राधिकारी और एजेन्सियां भी बतलाई जायेंगी;

- (ख) प्राधिकरण, कार्यकारी समिति या जोधपुर विकास आयुक्त को सलाह देगा;
- (ग) प्राधिकरण या कार्यकारी समिति द्वारा उसे सौंपी गयी किसी परियोजना या रक्षीग को कार्यान्वयित करेगा; और
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें या जो कार्यकारी समिति या जोधपुर विकास आयुक्त द्वारा रामाय—रामाय पर उसे समनुदेशित किये जायें।

15. कृत्यकारी बोर्ड की बैठक.— (1) इस अध्याय के अधीन गठित समरत कृत्यकारी बोर्ड की बैठकें ऐसे रथान पर और ऐसे समय पर होंगी जोसा उसके अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये; और उसकी बैठक में कार्यसंचालन रांची ऐसे प्रत्रिभ्या नियमों का अनुपालन किया जायेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) कृत्यकारी बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने और बोर्ड के अन्य कार्य करते समय किये जाने वाले व्यक्तिगत खर्चों के लिए ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय 4

प्राधिकरण का शक्तियां और कृत्य

16. प्राधिकरण के कृत्य.— प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य जोधपुर रीजन का एकीकृत विकास करना है और उस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगे:—

- (क) नगर आयोजना जिसके अन्तर्गत मास्टर विकास योजना और जोनल विकास योजनाएं तैयार करना और इस प्रयोजन के लिए रार्वेक्षण करवाना और उनमें ऐसे परिवर्तन भी करना जो आवश्यक समझे जायें;
- (ख) जोधपुर रीजन या उसके किसी भाग के विकास के लिए परियोजनाएं बनाना और उनको रखीकृत करना;

- (ग) परियोजनाओं और स्कीमों का निष्पादन स्वयं करना या किसी रथानीय प्राधिकारी या किसी अन्य एजेंसी द्वारा करवाना;
- (घ) जोधपुर रीजन के सम्पूर्ण विकास के लिए ऐसे किसी मामले या किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सिफारिश करना जिसमें राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, किसी रथानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो;
- (ङ) जोधपुर रीजन के विकास के लिए किसी अन्य प्राधिकरण के साथ भागीदारी करना;
- (च) जोधपुर रीजन के विकास की परियोजनाओं और स्कीमों के निष्पादन में समन्वय रथापित करना;
- (छ) ऐसी किसी परियोजना या स्कीम की, जिसका खर्च सम्पूर्णतः या भागतः जोधपुर रीजन विकास निधि में से किया जाना है, आयोजना और निष्पादन का पर्यवेक्षण या उस पर अन्यथा यथोचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना;
- (ज) स्कीमें तैयार करना और कृषि, उद्यान कृषि, फल कृषि, वन लगाना, दुध विकास, परिवहन, संचार, स्कूल खोलना, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, खेलकूद, विकित्सा, पर्यटन, मनोरंजन और ऐसे अन्य क्रियाकलापों के विरतार के लिए स्कीमें तैयार करने और उन्हें हाथ में लिये जाने के संबंध में विभागों और एजेंसियों को सलाह देना;
- (झ) राज्य सरकार के निदेशानुसार परियोजनाओं और स्कीमों का निष्पादन करना;
- (ज) जोधपुर रीजन में आवासीय कार्य हाथ में लेना ; परन्तु यह तब जब कि राजरथान आवासन बोर्ड और प्राधिकरण के बीच आवास के उत्तरदायित्वों का उल्लेख राजा सरकार द्वारा किया जाये, जो उसके द्वारा नियत की जाने वाली तारीख से प्रभावित हो;

- (ट) जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, जब वह आवश्यक समझे, अर्जन, धारण, प्रबन्ध और व्ययन करना;
- (ठ) प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्तमों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाने पर किसी व्यक्ति या संस्था के साथ संविदा, करार या व्यावरण करना;
- (ड) यातायात नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए मार्टर योजना तैयार करना, यातायात और उरासे संबंधित मामलों को सुगम बनाने के लिए नीति और कार्यवाही का कार्यक्रम बनाना;
- (ढ) नगर नवीकरण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, परिवहन एवं संचार और जल शक्ति साधनों के प्रबन्ध के लिए राज्य सरकार द्वारा रीधे ही या अन्य विभागों/एजेन्सियों के, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, माध्यम से उसे प्रत्यायोजित किये गये कृत्य करना;
- (ण) जोधपुर रीजन या प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उसके किसी भाग में विलों, विज्ञापनों, विज्ञापन-पट्टों, संकेत पोर्टों और नाम घोड़ों के लगाये जाने का विनियमन करना;
- (त) प्राधिकरण द्वारा मानविनिर्दिष्ट जोधपुर रीजन या उसके किसी भाग में भवनों या भवनों के निकले हुए भागों के निर्माण या पुनर्निर्माण, उसमें किए जाने वाले तात्त्विक परिवर्तन, और खुले रथानों की व्यवस्था करने के कार्यों को विनियमित यारना;
- (थ) सार्वजनिक सड़कों, खुले रथानों और सरकार या प्राधिकरण में निहित सम्पत्तियों से अतिक्रमणों एवं बाधाओं को हटाना;
- (द) ऐसे अन्य कृत्य और बातें करना जो उन मामलों के लिए आवश्यक या आनुपंगिक या साधक हों, जो इसके क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न हुए हों और जो उन

उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों जिनके लिए प्राधिकरण की स्थापना की गई है ; और

(ध) ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

17. प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति विकास कार्य नहीं करवायेगा।— (1) तत्समय प्रबृत्त किसी विधि में कोई बात होने पर भी कोई प्राधिकारी या व्यक्ति प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना जोधपुर रीजन के भीतर उस वकार का विकास कार्य नहीं करवायेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिरूपना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये आर जिसके कारण जोधपुर के सभी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की समावग्न हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विकास कार्य करने का इच्छुक कोई भी प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसा विकास कार्य करने के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को लिखित आवेदन करेगा :

परन्तु ऐसा व्यक्ति रांबंधित स्थानीय प्राधिकारी के जरिए ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसा रथानीय प्राधिकारी उसके आवेदन-पत्र को अपनी सिफारिशों, यदि कोई हों, के साथ प्राधिकारी को भेजेगा।

(3) प्राधिकरण ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् और उप-धारा (2) के अधीन आवेदन-पत्र प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर किन्हीं शर्तों के बिना या ऐसी किन्हीं शर्तों के साथ, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित रामङ्गो, ऐसी अनुज्ञा दे देगा या ऐसी अनुज्ञा देने से इनकार कर देगा, यदि ऐसी अनुज्ञा यथापूर्वोक्त साठ दिन के भीतर नहीं दी जाती है या उससे इनकार नहीं किया जाता है तो आवेदक, प्राधिकरण के सचिव या इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी भी अन्य अधिकारी को वैयक्तिक रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत लिखित संसूचना के द्वारा, अनुज्ञा देने या उसे देने से इनकार करने में हो रहे लोप या उपेक्षा की ओर प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित कर सकेगा, और यदि ऐसा लोप या उपेक्षा, ऐसी संसूचना के

प्राप्त होने से तीस दिन की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायेगा कि प्राधिकरण ने प्रस्तावित विकास की अनुज्ञा दे दी है और ऐसे विकास को, आवेदन-पत्र में विनिर्दिष्ट रीति से, अग्रसर किया जा सकेगा :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किरी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किरी भी व्यक्ति को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या आदेश के किन्हीं भी उन उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी सुधार का जिम्मा लेने या उसे कार्यान्वित करने से पहले प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा से भिन्न किसी भी मामले से सम्बन्धित हैं।

(4) उप-धारा (3) के अधीन प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यक्ति कोई प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सरकार को तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु ऐसी अपील प्रत्युत करने वाला प्राधिकारी यदि केन्द्रीय सरकार के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन हो तो अपील केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(5) उस दशा में जब कि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस धारा के अधीन किए गए विनिश्चय के प्रतिकूल कोई कार्य करे तो प्राधिकरण को ऐसे विनिश्चय के प्रतिकूल किये गये किसी विकास कार्य को गिराने, तोड़ने या हटाने और इस प्रकार गिराने, तोड़ने या हटाने का खर्च संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी से वसूल करने की शक्ति होगी।

18. प्राधिकरण की निदेश देने की शक्ति.— (1) सत्त्वमय प्रधृति किसी अन्य विधि में कोई बात होने पर भी प्राधिकरण किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को ऐसी किन्हीं परियोजनाओं या स्कीमों की, जिन्हें धारा 16 के अधीन वित्तीय सहायता दी गयी है, कार्यान्वयन के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे निदेशों का पालन करने को बाध्य होगा।

(2) जब उप—धारा (1)के अधीन किसी रथानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को कोई निदेश दिया जाता है तो ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसा निदेश प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे निदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) प्राधिकरण धारा 16 की उप धारा (1)के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि प्रत्येक परियोजना या रकीम का निष्पादन जोधपुर रीजन के समय विकास के हित में और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुमोदित या राज्य सरकार द्वारा सम्मक रूप से अनुमोदित किसी योजना, परियोजना या रकीम के अनुसार किया जा रहा है।

19. कपिताय भागलों में रथानीय प्राधिकारी रो उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा करने की प्राधिकरण की शक्ति— (1) जहाँ प्राधिकरण द्वारा कोई सुविधाएँ उपलब्ध करायी गयी हों वहाँ प्राधिकरण उन सुविधाओं के रख—रखाव का उत्तरदायित्व समाल लेगा जो उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी हों या वह रथानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता के भीतर इस प्रकार विकसित क्षेत्र आता है, ऐसा उत्तरदायित्व समाल लेने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण रथानीय प्राप्ति कारी या अन्य किसी प्राधिकारी रो ऐसे निवन्धनों और शर्तों पर जिन पर राहमति हो जाये, और जहाँ ऐसे निवन्धनों और शर्तों पर राहमति नहीं हो सके वहाँ रथानीय प्राधिकारी या, यथारिति, किसी अन्य प्राधिकारी और प्राधिकरण के साथ परामर्श करके ऐसे निवन्धनों और शर्तों पर जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, ऐसी अन्य सुविधाओं के लिए उपवन्ध करने की अपेक्षा भी कर सकेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें और जिनके लिए प्राधिकरण द्वारा उपवन्ध नहीं किया गया है।

20. प्राधिकरण की किसी योजना को निष्पादित करने की शक्ति—
(1) जब प्राधिकरण का यह समाधान हो जाये कि धारा 18 की उप—धारा

(1) के अधीन उसके द्वारा किसी परियोजना या स्कीम के संबंध में दिये गये किसी निदेश को उसमें निर्दिष्ट रथानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वयन नहीं किया गया है या ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति जोधपुर रीजन के किसी भाग के विकास के लिए अपने हाथ में ली गयी किसी परियोजना या स्कीम का कार्यान्वयन पूरी तौर से करने में असमर्थ है तो प्राधिकरण राज्य सरकार की मंजूरी से ऐसे निर्माण कार्यों को स्वयं करवायेगा और ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन या, यथारिति, ऐसी स्कीमों की कार्यान्वयन के लिए कोई खर्च कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के निदेशानुसार जोधपुर रीजन में मार्टर विकास योजना या जौनल विकास योजना या किसी अन्य परियोजना या, यथारिति, स्कीम के अनुसार कोई कार्य हाथ में ले सकेगा और ऐसा व्यय कर सकेगा जो निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक हो। ऐसा निदेश प्राधिकरण को केवल तब ही जारी किया जायेगा जब राज्य सरकार की राय में –

- (क) ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व लेने वाला कोई दूसरा उपयुक्त प्राधिकरण नहीं हो, या
- (ख) ऐसा प्राधिकरण हो किन्तु वह ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व लेने में अनिच्छुक या असमर्थ हो, या
- (ग) जब प्राधिकरण ने ऐसा कार्य उसे सौंपने के लिए राज्य सरकार से विशेष रूप से नियेदन किया हो।

(3) जब उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा किसी कार्य का उत्तरदायित्व लिया गया हो तो उसे ऐसे कार्य के निष्पादन के प्रयोजनार्थ वे समस्त शक्तियां होंगी जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट रथानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रयुक्त की जा सकती हैं।

(4) प्राधिकरण उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजन के लिए जोधपुर रीजन के भीतर किसी क्षेत्र के सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व ले सकेगा और

उस प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के हिए निम्नलिखित कार्य करना विधिषुर्ण होगा :—

- (क) ऐसी भूमि के तल मापन के लिए किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करना;
- (ख) अंधोमृदा की खुदाई या बेघन;
- (ग) चिह्न लगाकर और खाई खोदकर तल माप और सीमाओं के चिह्न लगाना; और
- (घ) जब अन्यथा रासेशण पूर्ण नहीं हो सकता हो और तल माप कर लिया गया हो और सीमाएं चिह्नित कर ली गयी हों तो बाड़ और जंगल काटना या सफ करना;

परन्तु किसी भूमि पर प्रवेश करने के पूर्व प्राधिकरण ऐसा करने के अपने आशय का नोटिस ऐसी रीति में देगा जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाये।

अध्याय 5

मास्टर विकास योजना और जोगल विकास योजनाएं

21. नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर योजना तैयार करना।— (1) प्राधिकरण भूमि के योजनाबद्ध एकीकृत विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जोधपुर नगर का नागरिक सर्वेक्षण करेगा और जोधपुर रीजन के लिए गास्टर विकास योजना तैयार करेगा।

(2) मास्टर विकास योजना में जोधपुर रीजन के नागरिकों के उस जीवन को जिसके निर्वाह की इच्छा वे (i) वर्ष 2016 ई. में मध्यम श्रेणी के परिप्रेक्ष्य में (ii) वर्ष 2023 ई. में और उसके पश्चात् दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तथा (iii) राज्य सरकार के निदेशानुसार ऐसे अन्य अन्तर्दर्ती चरणों में रखते हैं, जोधपुर नगर और जोधपुर रीजन के अन्य विकासोन्मुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतुलित और समयबद्ध विकास को लोकोपयोगी नागरिक सुविधाओं, सामुदायिक प्रसुविधाओं, आवासीय, संचार और यातायात के जाल विछाने को, प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण और विकास के लिए परियोजनाओं और रकीमों को और जोधपुर रीजन के एकीकृत विकास पर प्रभाव डालने वाली ऐसी अन्य बातों को स्पष्टत:

परिभाषित किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित के लिए विशेष उपबन्ध किया जा सकेगा:-

- (i) यातायात और संचार जैसे सड़कें, राजमार्ग, रेलवे, नहरें, अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, एयर कार्गो काम्प्लेक्स और बरा-सेवा तथा उनका विकास समिलित है;
- (ii) जल-प्रदाय, जल-निकास, मल-नाली, गल-निकास और अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएं, सुविधाएं और सेवाएं जिनमें विद्युत् और गैरस भी समिलित हैं;
- (iii) प्राकृतिक दृश्यावली, शहर के घरों, वन्य प्राणियों, प्राकृतिक स्रोतों और भू-दृश्य चित्रणों का प्रारेक्षण, संरक्षण और विकास;
- (iv) ऐतिहासिक, प्राकृतिक, रथापत्र या वैज्ञानिक रूचि और शैक्षणिक गूल्यों की परतुओं, आकृतियों, इमारतों या रथानों का परिरक्षण;
- (v) भूमि कटाव रोकना, बनरोपण या पुनः बनरोपण की व्यवस्था करना; जलस्त्वावित क्षेत्रों, नदियों, नालों, झीलों और तालाबों का सुधार करना;
- (vi) सिंचाई, जल-प्रदाय एवं जल विद्युत् संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल और वायु प्रदूषण को रोकना;
- (vii) शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं;
- (viii) जिला व्यावसायिक केन्द्रों, अन्य शॉपिंग काम्प्लेक्स, निर्यात औद्योगिक क्षेत्र, निकास गृह, रथायी प्रदर्शनी केन्द्रों, पशु मेला और बाजार;
- (ix) खेलकूद काम्प्लेक्स जो अन्तरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने योग्य हों;
- (x) आमोद-प्रमोद के लिए उद्यान जिनमें डिजीलैण्ड, शैली के काम्प्लेक्स, सफारी उद्यान और अन्य बांग और उद्यान, पिकनिक स्थान और दिन के आमोद-प्रमोद जिनमें कृत्रिम झीलें और जलाशय समिलित हैं;

- (xi) सांस्कृतिक काम्प्लेक्स जिसमें नाट्य गृह, सिनेमा, रंगमंच, रट्टियों, मनोरंजन केन्द्र, रामोलन हाल, काम्प्लेक्स कन्सर्ट हाल, टाउन हाल और सभा भवन समिलित हैं;
- (xii) पर्यटन काम्प्लेक्स जिसमें होटल और मोटल, कार टैकरी, पर्यटन और यात्राएं आयोजित करना समिलित है;
- (xiii) नये कर्चों के विकास के साथ राथ जोधपुर रीजन में उपनगरों का विकास और जोधपुर शहर के साथ उनका समुचित एकीकरण;
- (xiv) विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आंबटन करना, भूमि का सामान्य वितरण करना और वह सामान्य रिथ्ति और सीमा बतलाना जिस तक आवासीय, बाणिहिंदक, औद्योगिक, कृषि या वन के रूप में या खनिज रामुपयोजन के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग किया जा सके;
- (xv) खुले रथानों, बांगों, मनोरंजन रथानों, घिड़ियाघरों, प्राकृतिक आरक्षितियों, पशु अन्यारण्य, दुग्धशालाओं तथा रथारथ्य रथलों और अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण करना;
- (xvi) अधिक जनसंख्या वाले और औद्योगिक रूप से संकुचित क्षेत्रों से जनसंख्या या उद्योग को पुनः रथापित करना और जोधपुर रीजन के किसी भी क्षेत्र में मंजूर किये जाने वाले उद्योग की घनता या जनसंख्या या उद्योगों का केन्द्रीकरण करना;
- (xvii) आवासन, जिसमें ग्रामीण आवासन भी समिलित है;
- (xviii) नीचे, दलदली या अस्वारथ्यकर क्षेत्रों को भरना या ठीक करना या भूमियों को सनतल करना;
- (xix) विद्यमान निर्मित क्षेत्रों का पुनः विकास और सुधार करना;
- (xx) “आयादी” के विकास को समिलित करते हुए विभिन्न जोनों के लिए योजना मानक और जोनिंग विनियम बनाना; और

37. (28)

राजस्थान राज-पत्र, फरवरी 3, 2009

भाग 4 (क)

- (xxi) नगरीय विकास प्रबंध के लिए जोधपुर रीजन की योजना बनाना और उससे संबंधित समरत भागलों और इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगत अन्य भागलों के लिए योजना तैयार करना।

(3) मारटर विकास योजना में वे विभिन्न जोन भी परिनिश्चित किये जायेंगे जिनमें विकास के प्रयोजनार्थ जोधपुर रीजन को विभाजित किया जायेगा और उसमें वह रीति जिसमें विकास किया जाना है, और प्रत्येक जोन की भूमि, जिराका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है (चाहे उसमें विकास कार्य करके अथवा अन्यथा), और वे चरण जिनमें ऐसा विकास किया जायेगा, बतलाये जायेंगे और वह उस ढंचे का आधारभूत नमूना होगी जिसके भीतर विभिन्न जोनों की जोनल विकास योजना तैयार की जा सकेगी :

परन्तु प्राधिकरण, यदि लोकहित में ऐसा आवश्यक समझे जो, किसी भी जोन के किसी भी क्षेत्र को बदल सकेगा।

22. जोनल विकास योजनाएँ— (1) मारटर विकास योजना तैयार करने के साथ-साथ या उसके तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण प्रत्येक उस जोन के लिए, जिसमें जोधपुर रीजन को विभाजित किया जाये, जोनल विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही करेगा।

- (2) जोनल विकास योजना में,—
(क) धारा 21 की उप-धारा (2) में यथा-उल्लिखित विनास क्रियाकलापों के लिए उपयन्ध होगा;
(ख) जोन के विकास का एक रथल रेखांक होगा और ऐसी बातें जैसे सार्वजनिक भवन और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य और उपयोगिताएँ, सड़कें, आवासन, आमोद-प्रमोद, उद्योग, व्यवसाय, बाजार, रक्कुल, अस्पताल, सार्वजनिक एवं निजी खुले स्थान, और अन्य सार्वजनिक और निजी उपयोग की सीमावर्ती रिथनियों और जोन में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की सीमा दिखलाई जाएगी;

- (ग) आवादी की सुधनता और भवनों की सधनता के रत्तरमान विनिर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (घ) जोन का ऐसा प्रत्येक होम दिखाया जायेगा जो प्राधिकरण की राय में विकारा या पुनर्निकारा के लिए अपेक्षित हो या घोषित किया जा सकता हो; और
- (ङ) विशेषतः निम्नलिखित रागी वार्ता से या उन में से किसी से संबंधित उपचन्द्र होंगे, अर्थात्—
 - (i) भवन निर्माण के लिए किसी रथल का गू-खण्डों में विभाजन;
 - (ii) सड़कों, खुले रथानों, बागों, आमोद-प्रमोद के रथलों, रकूलों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयाजनों के लिए भूमि का आवंटन और आरक्षण;
 - (iii) किसी क्षेत्र का करवे या कालोगी के रूप में विकास और वे निर्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसा विकास किया जा सकेगा या क्रियान्वित किया जा सकेगा;
 - (iv) किसी रथल पर भवनों का परिनिर्माण और भवनों में या उनके चारों ओर रखे जाने वाले खुले रथानों के बारे में निर्धन और शर्तें और भवनों की ऊंचाई और उनका रखरूप;
 - (v) किसी रथल पर भवनों का पंक्ति—वन्धन;
 - (vi) किसी रथल पर निर्मित किये जाने वाले किसी भवन की ऊंचाई या अप्रभाग का रथापत्य रखरूप;
 - (vii) किसी प्लाट या रथल पर बनाए जाने वाले आवासीय भवनों की संख्या;
 - (viii) किसी रथल या ऐसे रथल पर बने भवनों के संबंध में उपलब्ध करायी जाने वाली सुख-सुविधाएं जो चाहे भवनों के निर्माण से पूर्व करायी जायें या उसके पश्चात् और व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके द्वारा या जिसके खर्च पर ऐसी सुख-सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी हैं;

- (ix) किसी परिक्षेत्र में विशेष प्रयोजन के लिए परिकलिप्त दुकानों, बक्सापॉ, भाण्डागारों या कारखानों या विनिर्दिष्ट वारतुकला संबंधी स्वरूप के भवनों के निर्माण के संबंध में प्रतिषेध या निर्धन;
- (x) दीवारों, बाड़बन्दियों, झाड़बन्दियों या किसी अन्य संरचनात्मक निर्माण या वारतु संबंधी निर्माणों का रख-रखाव और वह ऊँचाई जहां तक उन्हें बनाए रखना है;
- (xi) किसी स्थल के भवन-निर्माण से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने के संबंध में निर्धन ; और
- (xii) कोई अन्य बातें जो जोन या उसके किसी क्षेत्र की योजना के अनुसार समुचित विकास के लिए और ऐसे जोन या क्षेत्र में भवनों के अक्रमिक निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक हों।

23. योजना तैयार करने और उसे मंजूर किये जाने के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया— (1) किसी योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने के पूर्व प्राधिकरण योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा और उसे प्रकाशित करायेगा और उसकी एक प्रति निरीक्षणार्थ उपलब्ध करायेगा और एक नोटिस ऐसे प्ररूप और रीति में प्रकाशित करायेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख के पूर्व, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, योजना के प्ररूप के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित भूमि को योजना रपरा करती है, उस योजना की यावत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(3) प्राधिकरण उन समस्त आक्षेपों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर, जो उसे प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् योजना को अन्तिम रूप देगा।

(4) योजना के आकार और उसकी अन्तर्वस्तु की यावत और उसके बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की यावत और ऐसी योजना

तैयार करने एवं मंजूर करने से संबंधित किसी अन्य मामले में विनियमों द्वारा उपबन्ध किये जा सकेंगे।

(5) उप-धारा (1) से (4) तक में कोई बात होने पर भी उक्त उप-धाराओं में अधिकथित प्रक्रिया का उस मामले में अपनाया जाना अपेक्षित नहीं होगा जब किसी जोन में किसी परियोजना या रकीम का विकास या उसमें कोई सुधार प्राधिकरण में निहित किसी भूमि पर कार्यान्वित किया जाना हो।

24. योजना के प्रवर्तित होने की तारीख-- प्राधिकरण द्वारा योजना मंजूर किये जाने के तुरन्त पश्चात् वह एक नोटिस ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित हो जिसमें यह कथन होगा कि योजना का अनुमोदन कर दिया गया है और उसमें उस रूपान का भी नाम होगा जहां सभी खुलियुक्त समर्थों पर योजना की प्रति का निरीक्षण किया जा सकेगा और उपर्युक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को वह योजना प्रवर्तित हो जायेगी।

25. योजनाओं का पश्चात्वर्ती उपांतरण-- (1) धारा 24 के उपबन्धों के अनुसार योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात् किसी भी समय प्राधिकरण योजना में ऐसे उपांतरण कर सकेगा जो वह उद्धित समझे, उपांतरण उसकी राय में ऐसे हों जिनसे योजना के स्वरूप में तात्त्विक परिवर्तन न आने पायें और जो भूमि के उपयोग के विस्तार या जनसंख्या की सघनता के मानकों से संबंधित न हों।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से जोधपुर रीजन के किसी भाग के योजनावद्व विकास का अधिक दक्षतापूर्ण रीति से उन्नयन करने के लिए योजना में कोई अन्य उपांतरण कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण या नगर निगम, जोधपुर या कोई भी अन्य निकाय या समिति, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, जोधपुर रीजन के किसी भाग के योजनावद्व विकास का अधिक दक्षतापूर्ण रीति से संप्रवर्तन करने के लिए, ऐसे क्षेत्र की योजना की भूमि के उपयोग में ऐसे उपांतरण कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(4) योजना में कोई भी उपान्तरण किये जाने के पूर्व प्राधिकरण, नगर निगम, जोधपुर या कोई भी अन्य निकाय या समिति एक नोटिस ऐसे प्रक्रिया और रीति में, जो विनियमों द्वारा आधारित की जाये, प्रकाशित करेगी जिसके द्वारा उस नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे और प्राधिकरण, नगर निगम, जोधपुर या किसी भी अन्य निकाय या समिति द्वारा प्राप्त रामरता आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया जायेगा।

(5) इस धारा के उपबन्धों के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को प्रकाशित किया जायेगा और उपान्तरण का प्रवर्तन या तो प्रकाशन की तारीख से होगा या उस तारीख से होगा जो प्राधिकरण, नगर निगम, जोधपुर या कोई अन्य निकाय या समिति राजपत्र में प्रकाशित नोटिस द्वारा नियत करे, जिसके उपरान्त उपान्तरित योजना ही इस अधिनियम के समर्त आशयों और समर्त प्रयोजनों के लिए प्रवर्तित होगी।

(6) किसी उपान्तरित योजना का प्रवर्तन होने पर इस अध्याय की पूर्वगमी धाराओं के रिवाय अन्य किसी धारा में मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना के प्रति किसी निर्देश का अर्थ इस धारा के उपबन्धों के अधीन यथा—उपान्तरित मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना के प्रति निर्देश से लगाया जायेगा।

26. योजना का क्रियान्वयन.— प्राधिकरण किसी योजना का प्रवर्तन होने पर यथाशोष्य योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कार्यवाही करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आवश्यक समझी जाये।

27. इस अधिनियम से पूर्व तैयार की गयी योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समझी जायेंगी।— इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी कोई भी मास्टर योजना या जोनल योजना इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी समझी जायेगी जिस पर मास्टर योजना/मास्टर विकास योजना की स्वीकृति, उपान्तरण और पवर्तन से संबंधित पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे:

परन्तु जोधपुर के नगरीय क्षेत्र के लिए विधि के किन्हीं भी अन्य उपबन्धों के अधीन स्वीकृत कोई मास्टर योजना या जोनल योजना इस

परन्तु, निम्नलिखित के लिए ऐसी कोई अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी:-

- (i) किसी भवन के रख-रखाव, सुधार या फेरबदल के ऐसे कार्य के लिए जो केवल भवन के अन्दरूनी भाग को प्रभावित करते हैं या जो उसके बाहरी स्वरूप को तात्त्विक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं;
- (ii) तत्त्वाग्रह प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा किये गये आदेश या नियेश के अनुपालन में किये जाने वाले कार्यों के लिए;
- (iii) तत्त्वाग्रह प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किये जाने वाले कार्यों के लिए;
- (iv) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी राजनीय प्राधिकारी द्वारा किये जाने कार्यों के लिए जो-
 - (क) किसी राजमार्ग, सड़क या लोकमार्ग के रखरखाव या सुधार के लिए अपेक्षित हों; वे ऐसे कार्य हों जो ऐसे राजमार्ग, सड़क या लोकमार्ग की रीमा में अपी भूमि पर किये गये हों;
 - (ख) किन्हीं नालियों, मलनालियों, मुख्य नालियों, पाइपों, केवलों, टेलीफोनों या अन्य साधित्रों के निरीक्षण, भरमत या नवीकरण के प्रयोजन के लिए हों;
- (v) कृषि कार्यों के दौरान साधारणतः किये गये उत्खनन (कुओं सहित) के लिए;
- (vi) सड़क के संनिर्माण के लिए जो केवल कृषि प्रयोजन के लिए भूमि पर पहुंचने के आशय से हों;
- (vii) उस भूमि के सामान्य उपयोग के लिए जिसका अरथात् रूप से उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो;

- (viii) ऐसी भूमि के मामले में जिसका उपयोग सामान्यतः एक कार्य के लिए होता हो और यदाकदा किसी अन्य प्रयोजन के लिए होता हो तब यदाकदा उस अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए; और
- (ix) मानव आवास के लिए किसी भवन के उपयोग के आनुषंगिक प्रयोजन के लिए या ऐसे भवन से संलग्न किसी भवन या भूमि के उपयोग के लिए।

30. विकास की अनुज्ञा के प्रतिसंहरण और उपान्तरण की शक्ति—

- (1) यदि प्राधिकरण को यह प्रतीत हो कि तैयार की गयी या तैयार की जा रही किसी योजना को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन है कि इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी भूमि के विकास के लिए दी गयी अनुज्ञा का प्रतिसंहरण या उपान्तरण कर दिया जाये तो प्राधिकरण ऐसे प्रतिसंहरण या उपान्तरण के विरुद्ध संवंधित व्यक्ति को रुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश द्वारा अनुज्ञा का उस सीमा तक प्रतिसंहरण या उपान्तरण कर सकेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु—

- (क) जहाँ विकास किसी भवन या अन्य किसी संक्रिया के निष्पादन से संबंधित हो तो ऐसा कोई भी आदेश ऐसी किन्हीं संक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले ही निष्पादित की जा चुकी हों या आदेश तभी पारित किया जायेगा जबकि इन संक्रियाओं की सारबान् प्रगति हो चुकी हो या संक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हों;
- (ख) जहाँ विकास भूमि के उपयोग में परिवर्तन से संबंधित हो वहाँ परिवर्तन हो जाने के पश्चात् किसी भी संन्य ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि जहाँ अनुज्ञा का प्रतिसंहरण या उपान्तरण लोकहित में आवश्यक हो वहाँ प्रथम परन्तुक के उपबंध लागू नहीं होंगे।

- (2) जहाँ उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश द्वारा किसी अनुज्ञा का प्रतिसंहरण या उपान्तरण किया गया हो और कोई भी स्वामी

विहित समय में और रीति से ऐसी अनुज्ञा के जो प्रतिसंहरण या उपान्तरण द्वारा बेकार कर दी गयी हो, अनुसरण में किये गये विकास में हुए व्यय के लिए प्रतिकर का दावा करे तो प्राधिकरण रखामी को उसकी सुनवाई ऐसे अधिकारी द्वारा, जिसे उसने इस निमित्त नियुक्त किया है, की जाने का युक्तियुक्त अवारार प्रदान करने के पश्चात् और उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे प्रतिकर का निर्धारण करेगा और रखामी को समुचित प्रतिकर देने का प्रस्ताव करेगा।

(3) यदि रखामी यह प्रतिकर खीकार नहीं करता है और अपनी इनकारी का तीस दिन के भीतर गोटिरा देता है तो प्राधिकरण इस मामले को न्याय निर्णयन के लिए अधिकरण को भेजेगा और अधिकरण का विनिश्चय तथा रखामी और प्राधिकरण के लिए आवद्धकर होगा।

31. अप्राधिकृत विकास या योजना के अनुरूप से अन्यथा उपयोग के लिए शास्ति—(1) कोई व्यक्ति जो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई विकास प्रारम्भ करता है, विकास का दायित्व लेता है या उसे कार्यान्वित करता है या किसी भूमि के उपयोग का ऐसा प्रारम्भ या परिवर्तन करता है जो—

- (क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है; या
- (ख) जो मंजूर की गयी किसी अनुज्ञा के अनुसरण में नहीं है या जो किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में है जिसके अध्यधीन ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गयी थी; या
- (ग) विकास को अनुज्ञा का सम्यक् रूप से प्रतिसंहरण करने के पश्चात् किया जाता है; या
- (घ) उस अनुज्ञा के उल्लंघन में है जिसका सम्यक् रूप से उपान्तरण किया गया है,

दोषसिद्धि पर ऐसे जुमने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुमने से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रतिदिन एक सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो धारा 17 के अधीन ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किये गये विना किसी योजना के उपचर्यों के उल्लंघन में किसी भवन या भूमि का उपयोग जारी रखता है या अनुज्ञात करता है या जहाँ ऐसे उपयोग को जारी रखना उस धारा के अधीन अनुज्ञात किये जाने पर ऐसा उपयोग उस कालावधि के पश्चात् भी जारी रहता है जिसके लिए यह अनुज्ञात किया गया था, या उन निवचनों और शर्तों का अनुपालन किये विना जिनके अधीन ऐसे उपयोग का जारी रखना अनुज्ञात किया गया है, उसका उपयोग जारी रखता है तो दोषसिद्धि पर उसे ऐसे जुर्माने रो दण्डित किया जाएगा जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा; और अपराध जारी रहने पर ऐसे जुर्माने से और दण्डित किया जायेगा जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रतिदिन बांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

32. आप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति--

(1) जहाँ धारा 31 की उप-धारा (1) में उपदर्शित के अनुसार भूमि का कोई विकास किया गया हो वहाँ प्राधिकरण, इस धारा के उपचर्यों के अधीन रात्रे हूए ऐसे विकास के दस वर्षों के भीतर रुग्मी को नोटिस दे सकेगा जिसमें उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह नोटिस की तारीख के पश्चात् उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी कालावधि के भीतर जो एक मास से अधिक की नहीं होगी, निम्नलिखित ऐसे कदम उठाए जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हों:-

- (क) धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों में भूमि को उसी रिथति में प्रत्यावर्तित करना जो उसकी रिथति उक्त विकास के होने के पहले थी;
- (ख) धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (घ) में विनिर्दिष्ट मामलों में शर्तों या यथा उपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करना:

परन्तु जहाँ नोटिस में भूमि के किसी उपयोग को रोकना अपेक्षित हो वहाँ प्राधिकरण अधिभोगी पर नोटिस की तारीख भी करायेगा।



(2) विशिष्टतः ऐसे नोटिस में उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अपेक्षा की जायेगी कि—

- (क) किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिया जाये या उसमें फेरबदल किया जाये;
- (ख) भूमि पर किसी भवन का निर्माण या अन्य संश्लिष्ट की जाएँ; या
- (ग) भूमि के किसी उपयोग को रोक दिया जाये।

(3) ऐसे नोटिस से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति नोटिस में विहित कालावधि के भीतर और विनियमों द्वारा अवधारित रीति से भूमि पर किसी भवन या संकर्म के प्रतिधारण के लिए या भूमि के किसी उपयोग को जारी रखने के लिए जिरासे नोटिस संबंधित है, धारा 17 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा, और आवेदन का अन्तिम रूप से अवधारण होने या उसे बापरा ले लिये जाने के दौरान भवनों या संकर्मों के प्रतिधारण या ऐसे उपयोग को जारी रखने पर केवल नोटिस का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(4) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपचन्द्र, जहां तक ये लागू हों, उप-धारा (3) के अधीन किये गये आवेदन पर लागू होंगे।

(5) आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर कर ली जाती है तो नोटिस प्रत्याहृत माना जायेगा; किन्तु आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर नहीं की जाती है तो नोटिस यथावत बना रहेगा; या यदि अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या संकर्मों के प्रतिधारण के लिए या भूमि के दंबल किसी भाग के उपयोग को जारी रखे जाने के लिए दी गयी हो तो नोटिस ऐसे भवनों या संकर्मों या भूमि के ऐसे भाग के संबंध में प्रत्याहृत माना जायेगा किन्तु अन्य भवनों या संकर्मों या भूमि के अन्य भागों, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में यथावत यना रहेगा; और तब स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे अन्य भवनों संकर्मों या भूमि के भागों के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कदम उठाये।

(6) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या उप-धारा (4) के अधीन आवेदन के निपटारे के पश्चात् उसी कालावधि के भीतर

नोटिस का, जितना भी यह यथावत् रहता है, अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण—

(क) नोटिस का अनुपालन न करने पर स्वामी का; और जहाँ नोटिस में भूमि के किसी उपयोग को जारी न रखे जाने की अपेक्षा की गई हो वहाँ किसी अन्य व्यवित का भी, जो भूमि का उपयोग करता है या नोटिस के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करता है या उसकी अनुज्ञा देता है, अभियोजन कर सकेगा; और

(ख) जहाँ नोटिस में किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिये जाने या उसमें परिवर्तन करने या किसी भवन अथवा अन्य संक्रियाओं के निष्पादन की अपेक्षा की गयी हो वहाँ पर रख्य विकास होने के पहले बाली रिथति का प्रतिधारण करायेगा और अनुज्ञा की शर्तों या यथा उपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन कराने हेतु किसी भवन या संकर्म को तोड़ने या उसमें परिवर्तन करने अथवा किसी भवन या अन्य संक्रियाओं के निष्पादन सहित ऐसे कदम उठाएगा जो प्राधिकरण आवश्यक समझे; और इस निमित्त उसके द्वारा खर्च की गई रकम स्वामी से भू-राजरच की बकाया के रूप में वसूल करेगा।

(7) उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजित कोई व्यवित दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा; और अपराध जारी रहने के दौरान इस प्रकार जारी रखने के लिए दोषसिद्धि पर उसे ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो प्रथम बार के अपराध के पश्चात् प्रतिदिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

33. अप्राधिकृत विकास रोकने की शवित.—(1) जहाँ धारा 31 की उप-धारा (1) में यथा-उपदर्शित भूमि का विकास किया जा रहा हो किन्तु पूर्ण नहीं हुआ हो तो वहाँ प्राधिकरण स्वामी पर और विकास करने वाले व्यवित पर एक नोटिस तामील करायेगा जिसमें अपेक्षा की जायेगी कि भूमि

का विकास नोटिस की तामील के समय से बन्द कर दिया जाये; और तब धारा 32 की उप-धारा (3), (4), (5) और (6) के उपर्युक्त, जहां तक ये लागू हो सकें, ऐसे नोटिस के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 32 के अधीन नोटिस के संबंध में लागू होते हैं।

(2) कोई भी व्यक्ति जो ऐसे नोटिस के तामील हो जाने के पश्चात् चाहे अपने लिए या चाहे खामी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भूमि का विकास जारी रखता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और यदि उसका अननुपालन जारी रखा जाता है तो वह ऐसे और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा जो नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् अननुपालन किये जाने या अननुपालन जारी रखे जाने के दौरान प्रतिदिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(3) इस अध्याय में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी जहां कोई भी व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् अनधिकृत विकास जारी रखता है, वह प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ किये जा सकने वाले किसी भी अभियोजन या अन्य कार्यवाहियों या कार्रवाई के अतिरिक्त किसी भी पुलिस अधिकारी से, उस व्यक्ति का जिसके द्वारा भवन का परिनिर्माण जारी रखा जाता है और उसके समर्त सहायकों और कर्मकारों को, ऐसे समय के भीतर जो अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाए, अनधिकृत विकास के स्थन से हटाने की अपेक्षा करने के लिए सशक्त होगा और ऐसा पुलिस अधिकारी अध्यपेक्षा का तदनुसार अनुपालन करेगा। व्यक्तियों के ऐसे हटाये जाने के अतिरिक्त प्राधिकरण ऐसी निर्माण सामग्री, औजारों, आदि को अधिहत भी कर सकेगा जिसे ऐसा व्यक्ति अनधिकृत विकास के लिए उपयोग में ला रहा था।

(4) उप-धारा (3) के अधीन के अध्यपेक्षा आदेश का अनुपालन हो जाने के पश्चात्, कोई भी व्यक्ति या उसके सहायक और कर्मकार, जो बाद में अनधिकृत विकास जारी रखते हैं, दोषसिद्धि पर, उप-धारा (3) की कार्रवाई के अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 66 के अधीन दण्डनीय होंगे।

(5) ऐसे किसी भी नुकसान के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिक्रिया का कोई दावा नहीं किया जायेगा जिसे वह अनधिकृत विकास के, इस अधिनियम के अधीन बंद किये जाने के परिणामस्वरूप उठाये।

34. अप्राधिकृत विकास का प्रशमन.— इस अध्याय में इसके पूर्व किसी वात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, जहां किसी भी व्यक्ति ने स्थायी प्रकृति का कोई भी विकास या भूमि के उपयोग का परिवर्तन,—

- (क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना, या
- (ख) जो किसी प्रदत्त अनुज्ञा के अनुसार नहीं है या किन्हीं भी ऐसी शर्तों के उल्लंघन में है जिनके अध्यधीन रहते हुए कोई भी अनुज्ञा दी गयी है, या
- (ग) प्रदत्त या सम्यक् रूप से उपांतरित किसी भी अनुज्ञा के उल्लंघन में,

कर लिया है वहां ऐसा विकास या भूमि के उपयोग का परिवर्तन प्राधिकरण द्वारा, ऐसे नियमों पर और ऐसी फीस तथा प्रभारों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-सामय पर विहित किये जायें, संदाय पर प्रशमित किया जा सकेगा।

35. संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात् अप्राधिकृत अस्थायी विकास को हटाना या बन्द करना.— (1) इस अध्याय में इसके पूर्व किसी वात के होते हुए भी जहां किसी व्यक्ति ने धारा 31 की उप-धारा (1) में यथा—उपदर्शित अस्थायी प्रकार का विकास अप्राधिकृत रूप से कर लिया है तो प्राधिकरण, लिखित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर किसी परिनिर्मिति या निर्माण कार्य को हटाने या भूमि का यथापूर्वोक्त अप्राधिकृत उपयोग बन्द करने का निर्देश दे सकेगा; और यदि उसके पश्चात् वह व्यक्ति उक्त कालावधि के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निर्मित प्राधिकृत कोई भी अधिकारी संक्षिप्त प्रक्रिया रो ऐसे निर्माण कार्य को हटा देगा या आदेश में यथानिर्देशित उपयोग को बिना किसी नोटिस के संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा बन्द करा सकेगा और अप्राधिकृत रूप से फिर से किया गया कोई विकास इसी प्रकार संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा यथापूर्वोक्त कोई आदेश जारी किये बिना हटा दिया या बन्द कर दिया जायेगा :

परन्तु खड़ी फसलों को संक्षिप्त प्रक्रिया से नहीं हटाया जायेगा और सम्बन्धित व्यक्ति को फसल काटने और एकत्र करने के लिए प्राधिकरण द्वारा छह मास से अधिक की समुचित कालावधि अनुज्ञात की जायेगी।

(2) अरथात् प्रकार का विकास क्या है, इस प्रश्न पर प्राधिकरण का विनिश्चय उत्तिम होगा।

36. प्राधिकृत विकास या उपयोग को हटाये जाने की अपेक्षा करने की शक्ति— (1) यदि प्राधिकरण को यह प्रतीत हो कि तैयार की गयी योजना को ध्यान में रखते हुए इसके लोकों (सुख-सुविधाओं सहित) को उपयुक्त रूप से योजनाबद्ध करने के लिए यह समीचीन है,—

- (क) कि भूमि के किसी उपयोग को बन्द कर देना चाहिए, या
- (ख) कि उसके जारी रखने पर कोई शर्त अधिरोपित की जानी चाहिए, या
- (ग) कि किसी भवन या निर्माण-कार्य को परिवर्तित कर दिया या हटा दिया जाना चाहिए;

तो प्राधिकरण स्वामी पर नोटिस तामील करवाकर—

- (i) उस उपयोग को बंद किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा; या
- (ii) उसे जारी रखे जाने के लिए ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जायें; या
- (iii) यथारिति किन्हीं भवनों या संकर्मों को हटाने या उनमें फेर बदल करने के ऐसे कदम, उसमें विनिर्दिष्ट एक मास से कम की ऐसी अवधि में उठाने की अपेक्षा कर सकेगा जैसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) ऐसे नोटिस से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति उक्त कालावधि के भीतर और विहित रीति से अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन दायर की गयी किसी अपील पर अधिकरण अपीलार्थी और प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर

प्रदान करने के पश्चात् अपील खारिज कर सकेगा या नोटिस को अभियंडित करते हुए या उरामें फेरफार करते हुए, जैसा भी वह ठीक समझे, अपील मंजूर कर सकेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति—

- (i) निरो नोटिस के अनुपालन के परिणामरूप उस भूमि वा जिसका वह हकदार है, किसी हित के अवक्षयण द्वारा या भूमि के उपयोग में विघ्न द्वारा नुकसान हआ है; या
- (ii) निरान नोटिस के अनुपालन में कोई निर्माण कार्य करता है जिसका रामस वा और शीति से प्राधिकरण द्वारा नुकसान या नोटिस के अनुपालन के लिए अपने द्वारा युक्तियुक्त रूप से किये गये खर्चों के संबंध में प्रतिकर का दावा किया है तो ऐसे दावे के संबंध में भारा 30 की उप-धारा (2) और (3) के उपचान्द उरी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इन उपचान्दों के अंतीम प्रतिकर के दावों पर लागू होते हैं।

37. गृ-लालणों के उप-विभाजन या निजी मार्ग बनाने की मंजूरी—

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 23 के अधीन राजपत्र में प्रारूप योजना के प्रकाशन की तारीख वा उसके पश्चात् अपनी भूमि या भू-खण्ड को उप-विभाजित करने वा एसी भूमि या भू-खण्ड पर निजी मार्ग बनाने या उसका अभियास करने वा आशय रखता है, ऐसे प्रयोजन के लिए आशयित प्रारूप अभिन्यास विभागों या सरकार के आदेशों द्वारा अवधारित विशिष्टियों और ऐसी फीस संबंध व्यवस्था के लिए प्राधिकरण को पेश करेगा।

(2) प्राधिकरण विभागों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या तो विना उपान्तरणों के या ऐसे उपान्तरणों या शर्तों के अधीन, जो वह सभीचीन समझे ऐसी योजना को मंजूर कर सकेगा या यदि प्राधिकरण की यह राय हो कि इस प्रकार उप-विभाजित किया जाना या मार्ग का बनाया जाना योजना के प्रत्यावर्ती से किसी भी रूप में संगत नहीं है तो मंजूर करने से इनकार कर सकेगा।

(3) किसी मंजूरी की इनकारी के लिए या मंजूरी में अधिरोपित उपान्तरण या शर्तों के लिए कोई भी प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उल्लंघन में या उप-धारा (2) के अधीन दी गई मंजूरी में किन्हीं उपान्तरणों या शर्तों के उल्लंघन में या उक्त उप-धारा (2) के अधीन मंजूरी से इनकारी के बाबजूद भी कोई निर्माण कार्य करता है तो प्राधिकरण लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को चालू निर्माण कार्य को रोकने का निर्देश दे सकेगा और गिनियमों द्वारा अवश्यरित रौपि से जांच करने के पश्चात् किसी भी निर्माण कार्य को हटा सकेगा या गिरा सकेगा या भूमि को उसकी मूल रियति में ला सकेगा।

38. किये गये खर्चों की वसूली— प्राधिकरण द्वारा धारा 32, 33, 35, 36, और 37 के अधीन किया गया खर्च इस अधिनियम के अधीन व्यतिक्रमी द्वारा या भूमि अथवा भू-खण्ड के रचानी द्वारा प्राधिकरण को देय राशि होगी और वह न्यू-राजरव की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

अध्याय 7

परियोजनाएं और स्कीमें

39. परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और उनकी अन्तर्वस्तु— (1) इस अधिनियम द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए प्राधिकरण किसी भी योजना में प्रत्तावों के क्रियान्वयन के लिए जोधपुर रेजिन अथवा उसके किसी भाग के एकीकृत विकास हेतु ऐसी परियोजनाएं और रकीमें बना सकेगा जो आवश्यक हों।

(2) किसी परियोजना या रकीम में निम्नलिखित समरत या इनमें से किन्हीं भी मामलों के लिए उपयन्त्र किया जा सकेगा, अर्थात्—

- धारा 21 और 22 में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी मामलों के लिए;
- लोक उपयोगिताओं, जैसे सड़कें, मार्ग, खुली जगह, पार्कों, उद्यानों, भूमियों, मनोरंजन और खेल-मैदान, अस्पताल, औषधालय, शिक्षण-संस्थाओं, हरित-पटिटियों, दुग्ध शालाओं, आवासन विकास, बाजारों का विकास, शॉपिंग सेंटर्स, वाणिज्यिक काम्लेक्सों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशासनिक केन्द्रों, परिवहन सुविधाओं और सामरत प्रकार

- के लोक प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन, विकास, आख्यान और विक्रय या उसे पट्टे पर देने के लिए;
- (iii) खाली भूमि या निर्मिति बाली भूमि का अर्जन, अभिन्यास या पुनः अभिन्यास गलत ढंग से अंकित या गन्दी वरितयों या कठ्ठी वरितयों के रूप में पिकरित या विकृत ऐसे होना का पुनः निर्माण या पुनः स्थापन, नीवे, दलदली अथवा अख्यारथ्यकर क्षेत्रों की भूमियों को भरना या काम में लाने योग्य बनाना या भूमियों को समतल बनाने के लिए;
 - (iv) याणिधिक, औद्योगिक, परिवहन, कृषि-मंडी और अन्य सामान प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का अर्जन और विकास करने के लिए;
 - (v) सड़कें बिछाने या मार्गों की प्रणाली को नया रूप देने के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन और विकास, नये मार्गों या सड़कों को बिछाने, मार्गों और सड़कों के संनिर्माण, पोछे जाने, पिरसारण, परिवर्तन, सुधार, बन्द किये जाने और संचार रोक दिये जाने के लिए;
 - (vi) नए रालफों तथा जल निकास, मलबहन, सातड़ी और नई नदी जल निकास सहित मल निर्वातन और ऐसी ही जल शुक्रियाओं के प्रयोजन के लिए भू-खण्डों का पुनः संनिर्माण करने के लिए;
 - (vii) गंगा, पुलों और अन्य निर्मितियों के संनिर्माण, परिवर्तन और छापाये जाने के लिए;
 - (viii) प्रकाश व्यवस्था एवं जल प्रदाय के लिए;
 - (ix) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय आभेरुचि या प्राकृतिक सौंदर्य की परम्पराओं और उन भवनों के परिरक्षण के लिए जिनका बारतीय में धार्मिक प्रयोजनर्थ उपयोग किया जाता है;
 - (x) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के कमज़ोर तबकों के सदर्यों के लिए आवास रथान उपलब्ध कराने हेतु किसी स्कीम में उस

रीमा तक भूमि का आरक्षण करने के लिए जो विनियमों
द्वारा उपबंधित हो;

- (xi) भवनों के चारों तरफ रखी जाने वाली जगहों के, भू—खण्ड
के लिये भवन निर्माण क्षेत्र के प्रतिशत के, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों
में अनुशासन भवनों की संख्या, आकार, ऊँचाई और स्वरूप
के, उन प्रयोजनों के, जिनके लिए भवन या विनिर्दिष्ट क्षेत्र
विनियोजित किये जायें या न किये जायें, भू—खण्डों के
उपयोगाजन के लिए विनिर्दिष्ट कालावधियों में किसी क्षेत्र
में भूमियों के आक्षेपणीय उपयोगों को बन्द करने के,
पाकिंग स्थानों के लिए किसी भी भवन के, लदाई तथा
उत्तराई की जगह के और निकले हुए भागों, विज्ञापन
संकेतों और विज्ञान—पट्टों के आकार, या अवरस्थापन के
संबंध में शर्तों और नियन्धनों के अधिरोपण ;
- (xii) तत्त्वमय प्रवृत्त ऐसी किसी विधि के अधीन जिसे बनाने के
लिए राज्य विधान—मण्डल राक्षम हो, बनाये गये किसी
नियम, उप—विधि, विनियम या जारी की गयी अधिसूचना
या आदेश को रकीम के समुद्धित क्रियान्वयन के लिए
नियमित करने के लिए जहाँ तक ऐसा करना आवश्यक
हो :

परन्तु इस खण्ड के अधीन किया गया कोई
गिलम्बन रकीम के प्रत्याहरण की दशा में या अन्तिम
रक्कीम के लागू छो जाने पर प्रवृत्त नहीं रहेगा;

- (xiii) इस प्रकार के अन्य कार्य के लिए जो पर्यावरणीय सुधार
लाए और जो प्राधिकरण द्वारा हाथ में लिये जायें और
अन्य ऐसे रामस्त मामलों के लिए जो इस अधिनियम के
उद्देश्यों से असंगत न हों;

“ (3) प्रारूप परियोजना या रकीम में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी,
अर्थात्:-

- (क) प्रत्येक मूल भू—खण्ड का क्षेत्रफल, स्वामित्व और भूधृति;

- (ए) उप-धारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन आवंटित या आरक्षित भूमि की विशिष्टियाँ साथ ही उन उपयोगों का साधारण संकेत जिनके लिए ऐसी भूमि रखी जानी है और वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन ऐसी भूमि ऐसे उपयोगों के लिए रखी जानी हैं;
- (इ) वह परियोजना जहाँ तक गूल गू-खण्डों की सीमाओं को परिवर्तित किया जाना प्रत्यावित है;
- (घ) समुद्दित प्राधिकारी द्वारा वहन की जाने वाली रकीम की सुदृश लागत का प्राककलन;
- (ङ) उप-धारा (2) के अधीन रकीम के बांसे का पूर्ण वर्णन जो कि लागू हो;
- (घ) उस भूमि का अभिन्यास या पुनः अभिन्यास जो या तो खाली हो या जिस पर पहले से ही कोई निर्माण किया हुआ हो;
- (छ) नीचे, दलदली, या अस्यारथ्यकर क्षेत्रों का भरा जाना या सुधार करना या भूमि को समतल करना; और
- (ज) अन्य विशिष्टियाँ जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें।

.. 40. परियोजनाओं और रकीमों का तैयार किया जाना— (1) प्राधिकरण, रांकल्प द्वारा, किसी विकास क्षेत्र में धारा 39 में यथा उपवंधित के अनुराग परियोजना या रकीम तैयार करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगा।

(2) ऐसी परियोजना या रकीम बनाने के आशय की घोषणा की तारीख से तीरा दिन के भीतर प्राधिकरण घोषणा को राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति रें, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, प्रकाशित करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर प्राधिकरण परियोजना या रकीम का प्रारूप तैयार करेगा; और इसे एक नोटिस के साथ, जिसमें विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त परियोजना या रकीम के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसी

तारीख से पूर्व, जो नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से पूर्व की नहीं होगी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों, ऐसे रूप में और ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

(4) प्राधिकरण उप-धारा (3) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होने वाले समर्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा और उससे प्रभावित और सुनवाई के लिए इच्छुक ऐसे व्यक्तियों को समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् यथाप्रकाशित प्रारूप परियोजना या रकीम को अनुगोदित करेगा या उसमें ऐसे उपान्तरण करेगा जो वह ठीक समझे।

(5) उप-धारा (4) के अधीन किसी परियोजना या रकीम का उपान्तरणों सहित या रहित अनुगोदन विषये जाने के तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण राजपत्र में और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, अंतिम परियोजना या रकीम प्रकाशित करेगा और वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको यह प्रबर्तित होगी।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में किसी बात के होने पर भी उनमें अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा उन मामलों में नहीं की जाएगी जबकि परियोजना या रकीम का क्रियान्वयन किसी ऐसी भूमि पर करना हो जो प्राधिकरण में निहित हो और किसी भवन वा तोड़ना या उसमें रहने वाले व्यक्तियों का हटाया जाना इसके निष्पादन में अन्तर्ग्रंस्त न हो।

41. किसी स्थीम की घोषणा के पश्चात् भूमि के उपयोग और विकास पर निर्धारा— (1) उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको धारा 40 के अधीन प्रारूप रकीम प्रकाशित हुई है, कोई भी व्यक्ति परियोजना या रकीम में समिलित क्षेत्र के भीतर किसी भवन या भूमि के उपयोग का तय तक प्रारम्भ नहीं करेगा या उसे नहीं बदलेगा या किसी विकास को क्रियान्वित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा करने के लिए इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसरण में आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन न किया हो और उसे प्राप्त न कर लिया हो:

परन्तु ग्राम आबादी परिसीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति के लिए ऐसा विकास रथानीय पंचायत द्वारा दी गयी अनुज्ञा के अनुसार उस सीमा

तक करना विधिपूर्ण होगा जहाँ तक ऐसी अनुज्ञा ऐसी प्रारूप रकीम या रकीमों से आवश्यक हो।

(2) धारा 40 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या रकीम के लिए अध्याय 6 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

42. रकीम का व्यपगत होना— यदि प्राधिकरण धारा 40 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित किसी परियोजना या रकीम को उसकी धारा 40 की उप-धारा (5) के अधीन प्रकाशित हो जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर कार्यान्वयित करने में विफल रहता है तो यह परियोजना या रकीम बात वर्ष की उक्त कालावधि की रामार्दि पर व्यपगत हो जायेगी।

43. परियोजना या रकीम का उपान्तरण या प्रत्याहरण— (1) प्राधिकरण की राय यदि उसके द्वारा ऐसी जाच करने के पश्चात्, जो वह उद्यित समझे, यह हो कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि धारा 40 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या रकीम का प्रत्याहरण कर लिया गया है और ऐसी घोषणा करने पर ऐसी परियोजना या रकीम के संबंध में आगे कोई कार्यवाहियाँ नहीं की जायेगी।

(2) यदि प्राधिकरण धारा 40 की उप-धारा (4) के अधीन किसी परियोजना या रकीम के अनुमोदन के पश्चात् उसमें किसी भी समय कोई उपान्तरण करना आवश्यक समझे, जो उसकी राय में परियोजना या रकीम के स्वरूप में सारथान् परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वह उसमें उपयुक्त उपान्तरण कर सकेगा।

44. किसी परियोजना या रकीम की व्यावृत्ति— इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या इसके अधीन रकीकृत किसी योजना में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, उक्त योजना में रामाविष्ट न की गयी ऐसी कोई परियोजना या रकीम बनाने और उसको क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसको क्रियान्वित किया जाना प्राधिकरण की राय में लोकहित में आवश्यक या समीचीन हो, और उक्त योजना उस सीमा तक उपान्तरित समझी जायेगी।

संकेमा और उसका आवंटन नियमितीकरण या नीलाम के रूप में व्यापक ऐसी शर्तों तथा निवधनों के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, और ऐसी रीति से कर सकेगा जैसा कि यह समय-समय पर विहित करे:

परन्तु प्राधिकरण किसी भी ऐसी भूमि का व्यापक—

- (क) उस पर कोई विकास किये दिया या कराये दिया; या
- (ख) ऐसा विकास किये या कराये जाने के पश्चात् जो वह लीक समझे, ऐसे व्यक्ति को ऐसी शर्तों से और ऐसी प्ररामिदा और शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो वह योजना के अनुसार विकास रामिरिचत करने के लिए सभीचीन समझे।

(2) प्राधिकरण के द्वारा या उसके नियन्त्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किसी भूमि का विकास किया या कराया नहीं जायेगा।

(3) यदि प्राधिकरण में निहित किसी भूमि की किसी भी समय नगर निगम, जोधपुर द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि नगर निगम, जोधपुर या राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निवधनों और शर्तों पर सौंप सकेगी, जो उचित रामझी जायें।

(4) प्राधिकरण द्वारा अर्जित या राज्य सरकार द्वारा अर्जित और प्राधिकरण को अन्तरित समरत भूमि का व्यापक प्राधिकरण द्वारा उसी रीति से किया जायेगा जो कि उप-धारा (1) में भूमि के लिए विहित किया जाये।

49. कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमितीकरण आदि— (1) ऐसी समस्त भूमियां, जो राजरथान भू-राजरच अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-ख के अधीन प्राधिकरण के अधीन रखी हुई समझी गयी हैं, उनके खातेदारों के खातेदारी अधिकारों और हित के पुनर्ग्रहण या, यथारिथति, अभ्यर्पण पर, अधिमानतः ऐसे व्यक्तियों को, जो आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा उन्हें किये गये आवंटन या दिये गये

सकेगा और उराका आवंटन नियमितीकरण या नीलाम के रूप में व्ययन ऐसी शर्तों तथा निवंधनों के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकरित करे, और ऐसी रीति से कर सकेगा जैसा कि यह समय-समय पर विहित करे:

परन्तु प्राधिकरण किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन--

- (क) उस पर कोई विकास किये बिना या कराये बिना; या
- (ख) ऐसा विकास किये या कराये जाने के पश्चात् जो वह ठीक रामङ्गल, ऐसे व्यवित को ऐसी रीति से और ऐसी प्रसंविदा और शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो वह योजना के अनुसार विकास सुनिश्चित करने के लिए रामीचीन रामङ्गल।

(2) प्राधिकरण के द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्येक्षण के अधीन के सिवाय किसी भूमि का विकास किया या कराया नहीं जायेगा।

(3) यदि प्राधिकरण में निहित किसी भूमि की किसी भी समय नगर निगम, जोधपुर द्वारा अपने खृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिरूपका द्वारा ऐसी भूमि नगर निगम, जोधपुर या राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निवंधनों और शर्तों पर सौंप सकेगी, जो उचित समझी जायें।

(4) प्राधिकरण द्वारा अर्जित या राज्य सरकार द्वारा अर्जित और प्राधिकरण को अन्तरित समरूप भूमि का व्ययन प्राधिकरण द्वारा उसी रीति से किया जायेगा जो कि उप-धारा (1) में भूमि के लिए विहित किया जाये।

49. क्तिपय भूमियों का आवंटन, नियमितीकरण आदि— (1) ऐसी समस्त भूमियां, जो राजरथान भू-राजरव अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-ख के अधीन प्राधिकरण के अधीन रखी हुई समझी गयी हैं, उनके खातेदारों के खातेदारी अधिकारों और हित के पुनर्ग्रहण या, यथास्थिति, अग्यर्थण पर, अधिमानतः ऐसे व्यक्तियों को, जो आवासन सहकारी सोसाइटी द्वारा उन्हें किये गये आवंटन या दिये गये

पटटे के आधार पर या काश्तकार या ऐसे काश्तकार के माध्यम से दावा करने वाले किसी भी अन्य व्यक्ति के द्वारा, जिसके खातेदारी अधिकार उक्त उपबंध के अधीन पुनर्गृहीत या अभ्यापित किये गये हैं, उन्हें भूमि के अन्तरण के किसी भी अन्य दस्तावेज के आधार पर ऐसी भूमि या, यथारिति, उसके भाग पर कन्जा रखते हैं ऐसे निवन्धनों और शर्तों पर और प्राधिकरण को ऐसे प्रभारों या प्रीभियम या, यथारिति, दोनों के संदाय के अध्यधीन और ऐसी दरों पर, जो राज्य राजकार इस निमित्त विहित करे, आवंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी :

परन्तु विशी भी ऐसी भूमि का आवंटन या नियमितीकरण नहीं किया जायेगा जिसको सार्वजनिक उपयोगिताओं/सेवाओं, जैसे पार्क, पौधशाला, सिविल या रौन्य विमानन, बस अड्डे, परिवहन टर्मिनल, रेलवे, सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, पैदल रास्ते, मलप्रवाह भाली, जलप्रदाय, विद्युत् प्रदाय, टेलीफोन लाइनों, चिकित्सालय, विद्यालय, शैक्षिक रांगथा, विश्वविद्यालय, शमशानघाट, कविरत्नान के लिए और अन्य ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो राज्य राजकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, सम्यक् रूप से निश्चित किया गया है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन वसूल किये गये प्रभार राज्य की समेकित निधि में और प्राधिकरण की निधि में जमा किये जायेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये।

50. अन्तरण का पूर्ण रखामित्व या पट्टाधृति आधार पर होना।—(1) धारा 48 या धारा 49 के अधीन भूमि का प्रत्येक अन्तरण या तो पूर्ण रखामित्व आधार पर या पट्टाधृति आधार पर होगा।

(2) पट्टाधृति आधार पर विक्रीत, आवंटित, नियमित या अन्यथा अन्तरित किसी भी भूमि को ऐसे निवन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए और ऐसे संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर, जो विहित किये जायें, पूर्ण रखामित्व भूमि के रूप में संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “पूर्ण रखामित्व भूमि” से विरासत और अन्यसंक्रामण के अधिकार सहित शाश्वत भूधृति अभिप्रेत है।

अध्याय 9

वित्त, बजट और लेखे

51. प्राधिकरण की निधियाँ— (1) प्राधिकरण की अपनी निधि होगी जो “जोधपुर रीजन विकास निधि” (जिसे इसमें इसके पश्चात् “निधि” कहा गया है) कहलायेगी। जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समरत धनराशियाँ जमा होंगी और जिसमें निम्नलिखित भी समिलित होंगे—

- (क) अभिदाय की ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा वार्षिक या प्रत्येक वर्ष में ऐसी किसर्तों में, जो राज्य की योजना में समिलित स्थानों के अनुसार अवधारित की जाए और इस निमित्त सम्यक् रूप से किये विनियोग के अधीन दो जाती हैं, ऐसे अभिदाय का उपर्योग प्राधिकरण द्वारा जोधपुर रीजन के विकास के लिए किया जायगा;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा प्रथम बार में ही जाने वाली अभिदाय की सारी प्राधिकरण द्वारा स्थापित भी जाने वाली परिकारी निधि के लिए एक करोड़ रुपये के बराबर होगी;
- (ग) ऐसा अन्य धन जो कि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा अनुदान, उधार, अधिग्राहण या अन्यथा प्राधिकरण को संदर्भ किया जाये;
- (घ) राजस्थान भूमि तथा भवन कर अधिनियम, 1964 (1964 का अधिनियम रा. 18) के उपबच्यों के अनुसार जोधपुर रीजन में रिश्ते भूमियों तथा भवनों से वसूल किये गये कर के आगमों का 50 प्रतिशत हिस्सा;
- (ङ) खाली भूमि के द्वितीय और पश्चात्पर्ती विक्रय के प्रीमियम से व्युत्पन्न आय;
- (च) रिक्त भूमि पर उद्यग्रहण से आय;
- (छ) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गयी समरत फीसें, लागत और प्रभार;

- (ज) प्राधिकरण द्वारा, भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति, जंगम और स्थावर के व्यापन से तथा पट्टे की नगराशी नगर निर्धारण, विकास प्रभार और भू-खण्ड धारकों से वसूलीय ऐसे ही प्रभारों को सम्मिलित करते हुए अन्य संव्यवहारों से प्राप्त समरत धन;
- (झ) वित्तीय संस्थानों से लिये गये उधार को सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण द्वारा उधार लिया गया समरत धन;
- (ञ) प्राधिकरण द्वारा निराए के रूप में और जाग या किसी अन्य रीति से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समरत धन; और
- (ट) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किये जाने वाले समरत दान।

(2) प्राधिकरण किसी अनुसूचित वैक या छिसी सहकारी या इस निमित्त राज्य रारकार द्वारा अनुमोदित अन्य वैक में चालू खाता या जमा खाता रख सकेगा, इस निवि में से ऐसी धन राशि, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाये, और उक्त राशि से अधिक कोई धन राशि ऐसी रीति से विनिहित की जायेगी जो कि विनियमों द्वारा पिहित की जाये।

(3) ऐसे खातों का संचालन जोधपुर विकास आयुक्त द्वारा या प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो कि इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

52. उधार निधि— (1) निधि के भागरूप में, प्राधिकरण विभिन्न वैक खातों में—(क) उधारों द्वारा उधार पर व्याज के संदाय के साथ-साथ उधार की किरतों के प्रति संदायों को सम्मिलित करते हुए उसके द्वारा उधार लिये गये समरत धन को प्राप्त करने, (ख) प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों या व्यक्तियों को उधार अथवा अग्रिम के रूप में उपलब्ध बरवाने के लिए समरत धन का प्रबन्ध करने, (ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा लिये गये उधारों का प्रतिसंदाय करने और (घ) परियोजनाओं और रक्कीमों पर व्यय करने के प्रयोजनों के लिए एक उधार निधि रथापित करेगा।

(2) उधार निधि से संबंधित समरत मामले इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा विनियमित होंगे।

53. आरक्षित और अन्य निधियाँ— (1) प्राधिकरण आरक्षित निधि के लिए उपबंध करेगा और अन्य विशिष्टतः अंकित मूल्य निधियों के लिए उपबंध कर सकेगा, जैरा वह उधित समझे।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निधियों का प्रबंध और उधार के लिए समय-समय पर अन्तरित होने वाली रकम और उसमें समाविष्ट होने वाले धन का उपयोजन प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा।

54. निधियों इत्यादि का उपयोजन— प्राधिकरण में निहित समरत सम्पत्ति निधियाँ और अन्य आरितयाँ उराके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए और इसके उपबंधों के अधीन रहते हुए धारित की जायेंगी और उपयोजित की जायेंगी।

55. प्राधिकरण की उधार लेने की शक्ति— प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए या इसके द्वारा आभिप्राप्त उधार के शोधन के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर जो कि राज्य सरकार धन उधार लेते समय अवधारित करे, कोई भी धन उधार ले सकेगा।

56. परियोजना और रकीमों को वित्त देने और उनके लिए शर्तें अधिरोपित करने की प्राधिकरण की शक्ति— प्राधिकरण किसी रथानीय प्राधिकारी या जोधपुर रीजन में अन्य प्राधिकारी या किसी रारकारी विभाग या व्यक्ति को धारा 16 के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए अनुदान, अन्त्रिम या उधार देने के लिए या उनके व्ययों में हिररा लेने के लिए सहान होगा और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते पर भी ऐसे रथानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, सरकारी विभाग या किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे निवन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे अनुदानों, अन्त्रिमों या उधारों या व्ययों में हिस्से रखीकार करना विधिपूर्ण होगा जो कि प्राधिकरण समय-समय पर, ऐसे रथानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, रारकारी विभाग या, यथारिथते, किसी व्यक्ति के परामर्श से विनिर्दिष्ट करे।

57. प्राधिकरण द्वारा लिये गये या दिये गये उधारों पर राज्य की प्रत्याभूति— राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए लिये गये या दिये गये या इराको अन्तरित किये गये किसी उधार के

मूलधन और उस पर ब्याज के प्रति संदाय की प्रत्याभूति ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेगी जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे।

58. लेखे और संपरीक्षा—(1) प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से लेखे रखेगा जो कि इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा अपारित की जाये।

(2) प्राधिकरण के लेखे, परीक्षक रथानीय निधि संपरीक्षा द्वारा राजस्थान रथानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपर्यों के अनुसार संपरीक्षा किये जाने के अधीन होंगे।

(3) प्राधिकरण संपरीक्षा के लिए ऐसे प्रभारों का संदाय करेगा जो कि दिहित किये जायें।

59. बजट.—(1) प्राधिकरण का वित्त निदेशक ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विनियमों द्वारा अपारित किया जाये, प्राधिकरण की प्राप्तियों और संवितरणों के अनुमान जोधपुर विकास आयुक्त को दिखाते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रतीवर्ष बजट तैयार करेगा जो ऐसे उपान्तरण करने के पश्चात्, जैसा कि वह उक्त समझे, प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) जोधपुर विकास आयुक्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बजट की प्रतियां राज्य सरकार को अंग्रेजित करेगा।

60. वार्षिक रिपोर्ट—प्राधिकरण पूर्व वर्ष के दौरान किये गये अपने क्रियाकलापों की प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् (31 मार्च की समाप्ति पर) रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे 30 सितम्बर के पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार लेखा विवरण सहित ऐसी वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के रादन के पटल पर रखवायेगी।

अध्याय 10

कतिपय प्रभारों के उद्घाटन की शक्ति

61. कतिपय प्रभारों के उद्घाटन की शक्ति—प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट दर और तारीख से और

ऐसी रीति से, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, निम्नलिखित प्रभारों का उद्घाटन करेगा, अर्थात्:-

- (क) जोधपुर रोजन में रिक्त भूमि के द्वितीय या पश्चात्कर्ती विक्रय पर प्रीग्राम;
- (ख) जोधपुर रोजन में रिक्त भूमि पर वार्षिक उद्घाटन; और
- (ग) आवासीय प्रयोजन से वाणिज्यिक प्रयोजन या अन्य प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के लिए संपरिवर्तन प्रभार।

स्पष्टीकरण- इस अध्याय में प्रयोग की गयी अभिव्यक्ति “रिक्त भूमि” से ऐसी समरत भूमि अभिप्रेत है जो राज्य सरकार, प्राधिकरण या किसी रथानीय प्राधिकारी द्वारा पट्टे के आधार पर आवंटित की गयी है या बेची गयी है या जो भूमि अन्यथा स्वामित्वाधीन अथवा धारित है और जिस पर कोई भवन स्वनिर्मित नहीं किया गया है या यदि किसी भवन का रानिर्माण किया गया है तो आच्छादित क्षेत्र भूमि के कुल क्षेत्र के 1/5 से कम हो।

62. प्राधिकरण की निधि में जमा किया जाने वाला नगरीय निर्धारण (भू-किराया).— (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार, प्राधिकरण या किसी अन्य रथानीय प्राधिकारी द्वारा पट्टाधृति आधार पर येची गयी भूमि या भू-खण्ड के धारकों से नगरीय निर्धारण या भू-किराया ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से वसूल करेगा जो विहित की जाये।

(2) उप धारा (1) के अधीन वसूल किया गया नगरीय निर्धारण या भू-किराया प्राधिकरण की निधि में जमा किया जायेगा।

63. कतिपय अनुज्ञाप्तियों या अनुज्ञा के लिए प्राधिकरण फीस वसूल कर सकेगा.— जब इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा कोई अनुज्ञाप्ति प्रदान की जाती है या इसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए कोई अनुज्ञा दी जाती है तो प्राधिकरण ऐसी अनुज्ञाप्ति या अनुज्ञा के लिए ऐसी फीस वसूल कर सकेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

अध्याय 11

अभियोजन, बाद और पुलिस की शक्तियाँ

64. अप्राधिकृत बाधाओं के लिए शारित-जो कोई-

- (i) धारा 80 के अधीन उस धारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए जोधपुर रीजन के किसी भाग में किसी भूमि पर या भवन में प्रवेश करने के लिए सामान्य किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा पहुंचाता है; या
- (ii) ऐसे प्रवेश के पश्चात् यथापूर्वकत ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करता है; या
- (iii) प्राधिकरण के किसी सदर्या या कर्मचारी का या सरकार के किसी कर्मचारी का उस रामय प्रतिरोध करता है, उसे बाधा पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है जबकि वह प्राधिकरण या सरकार या ऐसे सदर्या या प्राधिकरण के कर्मचारी या सरकार के किसी कर्मचारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन या किसी कृत्य का निर्वहन कर रहा होता है; या
- (iv) किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है जिसके साथ प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य के किसी अधिकारी ने संविदा की है या प्राधिकरण के किसी ऐसे कर्मचारी को बाधा पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है जो प्राधिकरण के या सरकार के या उस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के कर्तव्यों के पालन या कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में किसी भी बात को करने में विधिपूर्ण तौर पर लगा है,

ऐसे जुमने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

65. किसी भी कार्य के निष्पादन के प्रयोजनार्थ खड़ी की गयी बाड़ इत्यादि को हटाने के लिए शारित- यदि कोई भी व्यक्ति विना विधिपूर्ण प्राधिकार के-

- (क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई कार्य करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा किसी भवन, दीवार या

अन्य वरतु को आधार लगाने या सहारा देने हेतु उपयोग में ली गयी किसी भी बाड़ या किसी भी काष्ठ को हटाता है या किसी भी प्रकाश को बुझाता है जो ऐसे किसी भी स्थान पर किया गया है जहां गली या अन्य जमीन को प्राधिकरण द्वारा खोला गया है या तोड़ा गया है; या

- (ख) ऐसे किसी चिह्न को हटाता है जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी भी कार्य के निष्पादन में कोई सतह या दिशा उपर्युक्त करने के प्रयोजन के लिए खड़ा करना आवश्यक है; या
- (ग) दिये गये किसी आदेश का अतिलंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्य के निष्पादन के दौरान सातायात के लिए किसी भी गली को बन्द करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा नियत किसी भी शलाका, जंजीर या चौकी को हटाता है,

तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

66. अध्येक्षा की अवज्ञा करने और मिथ्या सूचना इत्यादि देने के कारण शास्ति—जो कोई भी –

- (क) जानबूझकर या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, इस अधिनियम के अधीन या इसके किन्हीं भी उपदन्धों के अनुसरण में जारी किसी भी अध्येक्षा या अन्य विधिपूर्ण आदेश या निदेश की अवज्ञा करता है; या
- (ख) इस अधिनियम के उपदन्धों में से किसी के भी अधीन कोई विवरणी या कोई सूचना देने की अपेक्षा किये जाने पर मिथ्या विवरणी या मिथ्या सूचना देता है,

वह इतने जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या इतनी अवधि के कारावास से जो कि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से दण्डनीय होगा।

67. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा— (1) जो कोई ऐसी किसी भी भूमि या रथान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या रथान प्राधिकरण का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर कानी गयी सीढ़ियों के सिवाय, अतिक्रमण करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे साता कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुमाने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

परन्तु न्यायालय किन्होंने भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, एक मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जो कोई भी ऐसी किसी भी भूमि या रथान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या रथान प्राधिकरण का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, बाधा उत्पन्न करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे साता कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुमाने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(3) प्राधिकरण या उसके हारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी बात या अतिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने का व्यय उस व्यक्ति हारा रांदत किया जायेगा जिसने उक्त बाधा या अतिक्रमण कारित किया है।

(4) इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत न होते हुए जो कोई भी पूर्वान्त किसी भी भूमि या रथान से बिट्ठी, रेत या अन्य सामग्री हटाता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुमाने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(5) पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होने पर भी, प्राधिकरण या उसके हारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, इस धारा में यथा

उपबंधित की गयी कार्बोई के अतिरिक्त इस धारा में निर्दिष्ट भूमि या स्थान पर पायी गयी या, यथारिति, ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न या ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न किसी चीज से स्थायी रूप से जाकड़ी हुई सम्पत्ति का अभिग्रहण करने या उसे कुर्क करने की शक्ति भी होगी।

(6) जहां प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहां वह प्राधिकरण को ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की स्पोष तत्काल करेगा।

(7) प्राधिकरण, अधिहरण की कार्बोहियों के गिर्कर्ध के लंबित रहते, अभिगृहीत या कुर्क सम्पत्ति की समुचित अभिरुप्ता के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह उचित रामङ्ग और यदि सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो या ऐसा करना अन्यथा समीक्षान हो तो प्राधिकरण उसे विक्रीत या अन्यथा व्यवनित किये जाने के आदेश दे सकेगा।

(8) यदि पूर्वोक्त रूप से कोई सम्पत्ति विक्रीत की जाती है तो उसके विक्रयागम का संदाय ऐसे किसी विक्रय के व्यर्थों या उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक व्यर्थों की कटौती करने के पश्चात्—

(क) जहां प्राधिकरण द्वारा अधिहरण का कोई आदेश अन्तर्तोगत्वा पारित नहीं किया गया हो; या

(ख) जहां अपील में पारित आदेश के द्वारा ऐसा अपेक्षित हो, उसके स्वामी को या उस व्यवित को किया जायेगा जिससे वह अभिगृहीत की गयी है।

(9) जहां उप-धारा (5) के अधीन कोई सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है वहां प्राधिकरण ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकेगा।

(10) उप-धारा (9) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे कि वह अभिगृहीत या कुर्क की गयी है—

(क) उन आधारों की उसे सूचना देने वाला एक लिखित नोटिस, जिन पर सम्पत्ति का अधिहरण प्रस्तावित है;

(ख) अधिहरण के आधारों के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर—भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक लिखित अम्यावेदन करने का अवारार; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवारार, नहीं दे दिया जारे।

(11) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई भी आदेश ऐसे किसी दण्ड के अधिरोपण को नहीं रोकेगा जिससे अधिहरण से प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।

(12) जब कभी कोई सम्पादित इस धारा के अधीन अधिहरण के लंबित रहते अभियुक्त या कुर्क की जाये तब ऐसी सम्पत्ति के कड़ो, परिदान, व्ययन, निर्मुक्ति या वितरण के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता प्राधिकरण या इस अधिनियम की धारा 77 के अधीन गठित अधिकरण को होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्भुत किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय, अन्य अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को नहीं होगी।

(13) जहाँ कोई भी व्यापेत उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाता है वहाँ यह सायित करने का भार उसी पर होगा कि उसने अपराध नहीं किया है।

(14) इस धारा के अधीन दण्डनीय अतिक्रमण या बाधा को बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से दिशापूर्वक रूप से न्यरत जो कोई भी प्राधिकरण का कर्मचारी ऐसे अतिक्रमण या बाधा को बन्द करने या रोकने में जान-बूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जान-बूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के साथ कारावास रो, जो एक मास तक को हो सकेगा या ऐसे जुमाने रो, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा:

परन्तु कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के सिवाय ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(15) इस धारा के अधीन के किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण पुलिस उप-अधीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया जायेगा।

68. अपराधों के दण्ड के लिए सामान्य उपबन्ध— जो कोई इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबन्धों या उसके अधीन बनाये गये गियम या विनियमों या किसी रवीकृत योजना, परियोजना या रकीम का उल्लंघन करता है, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए कोई अन्य शारित उपबन्धित नहीं की गयी है तो वह —

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेंगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्सुवर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दो रुपये पचास रुपये से कम और पाँच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा,

दण्डनीय होगा।

69. कंपनियों द्वारा अपराध— (1) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति यदि कोई कम्पनी है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात इस अधिनियम में उपबन्धित किसी भी दण्ड के लिए ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह सावित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निपारित करने के लिए समरत सम्यक् तत्परता घरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सावित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या गौनानुकूलता से किया

गया है या उसकी उपेक्षा के फलरूप किया जाता है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, संविव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

रपटीकरण— इस धारा के प्रयोजन के लिए—

- (क) “कम्पनी” से कोई नियमित निकाय अभिप्रेत है, और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम समिलित है, और
- (ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

70. अपराधों का संज्ञान— कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदनुसार बनाये गये नियम विनियम या किये गये आदेश के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान प्राधिकरण द्वारा या उस नियमित प्राधिकरण द्वारा स्पष्टतः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के तथ्यों की लिखित शिकायत पर किये जाने के रिवाय नहीं करेगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसका उसकी रखर्य की सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार धारा 31 की उप-धारा (1) में यथादर्शित अनधिकृत विकास से प्रतिकूलतः प्रभावित होता है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने उक्त अनधिकृत विकास का दायित्व लिया है, इसी रीति से शिकायत भी कर सकेगा:

परन्तु यह भी कि ऐसी कार्यवाहियों का सम्यक् नोटिस प्राधिकरण को भी दिया जायेगा और यदि प्राधिकरण एक गुप्तियुक्त कालावधि के भीतर कार्यवाही के हेतुक को हटा देता है तो न्यायालय की कार्यवाहियों का, किसी भी ऐसी अन्य कार्रवाई या कार्यवाहियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले विनां जिन्हें प्राधिकरण ने प्रारम्भ किया हो या उसके पश्चात् कर सकता हो, उपशमन हो जायेगा।

71. जुर्माना वसूल हो जाने पर प्राधिकरण को उसका संदाय किया जाना— इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के संबंध में वसूल किये गये समर्त जुर्माने प्राधिकरण को संदर्त्त किये जायेंगे।

72. विधिक मामलों में प्राधिकरण की शक्ति— प्राधिकरण —

- (क) किसी भी विधिक कार्यवाही को संरित कर सकेगा, उसका प्रतिवाद कर सकेगा या उसे धापरा ले सकेगा;

- (ख) इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का शमन कर सकेगा; और
- (ग) विनी गी विधिक बाध्यवाही में या अन्यथा किये गये किसी दावे को खींकार कर सकेगा, उसका शमन कर सकेगा या उसे बापरा ले सकेगा।

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन राज्यालय की अनुमति के सिवाय बापरा नहीं लिया जा सकेगा।

73. प्राधिकरण की उन्मुक्ति— प्राधिकरण के विरुद्ध या प्राधिकरण या उसकी कार्यकारी समिति या अन्य समितियों या किसी कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय के अध्यक्ष, सदस्य या किसी अधिकारी या कर्मचारी के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किन्हीं वातों में कोई दावा, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही ग्राह्य नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन विधित और सद्भावपूर्वक और सम्यक सावधानी और सतर्कता से की गयी है।

74. प्राधिकरण के विरुद्ध वाद का नोटिस— (1) इस अधिनियम या तद्धीन किये गये किसी आदेश, बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य के या उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के पिरुद्ध या प्राधिकरण या उसकी कार्यकारी समिति, उसके किसी कृत्यकारी बोर्ड, अधिकरण, किसी समिति या उसके किसी निकाय के सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के निदेशाधीन किसी व्यक्ति द्वारा किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के बारे में उसके विरुद्ध कोई वाद उस तारीख से दो मास की समाप्ति के पूर्व संरित्त नहीं किया जायेगा जिसको उस व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध वाद लाया जाना है, कार्यालय या निवास स्थान पर एक लिखित नोटिस छोड़ा गया है जिसमें कि वाद हेतुक का, इच्छित अनुतोष के प्रकार का, दावाकृत प्रतिकर की रकम का और संभाव्य वादियों के नाम और निवास स्थान का स्पष्ट कथन हो और जब तक कि ऐसे वाद में यह कथन न किया जाये कि ऐसा नोटिस छोड़ा या परिदत्त किया जा चुका है।

(2) उप-धारा (1) में वर्णित ऐसा कोई वाद जब तक कि वह रथावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण या उराके रथत्व की घोषणा के लिए न हो ऐसी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संरित नहीं किया जाएगा जिसको वाद हेतुक उत्पन्न होता है।

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई वात ऐसे वाद पर लागू नहीं मानी जायेगी जिसमें अनुतोष के रूप में केवल ऐसे व्यादेश की ही मांग की गयी है जिसका उद्देश्य वाद का नोटिस देने या वाद संरित किया जाना रथगित करने पर विफल हो जायेगा।

75. अगिलेख के सबूत की शीति— प्राधिकरण के कब्जे में की किसी रक्षीद, आवेदन, योजना, नोटिस, आदेश की प्रति, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य दरतावेज को यदि वह उसके बैंध अभिरक्षक द्वारा या जोधपुर दिकास आयुपत्त द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया है तो वह उस प्रविष्टि या दरतावेज के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जायेगा और वह उनसे प्रत्येक में अभिलिखित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य में उसी तीनों तक साक्ष्य होगा जहाँ तक ऐसे मामले को प्रमाणित करने के लिए मूल प्रविष्टि या दरतावेज आहा होता यदि वह प्रत्युत्त किया गया होता।

76. प्राधिकरण के कर्मचारियों को दरतावेज पेश करने के लिए समन करने पर प्रतिवन्ध— प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी विधिक कार्यवाही में जिसमें प्राधिकरण पक्षकार नहीं है, कोई रजिस्टर या दरतावेज, जिसकी अन्तर्परस्तु प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा पूर्ववर्ती धारा के अधीन राखित की जा राकती है, पेश करने की और उसमें अभिलिखित मामलों एवं संव्यवहारों को साक्षित करने के लिए साक्षी के रूप में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय आदेश न दे।

अध्याय 12

प्रकीर्ण

77. अधिकरण का गठन— (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण का गठन करेगी।

(2) अधिकरण में एक व्यक्ति होगा जो कि राज्य सरकार का अधिकारी होगा, और उसे ऐसा बैतन और भत्ते दिये जायेंगे जो राज्य सरकार अवधारित करे।

(3) राज्य सरकार, अधिकरण की सहायता के लिए प्राधिकरण को इतनी रांख्या में और ऐसे संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निदेश दे सकेंगी जो बहु आवश्यक समझे।

(4) अधिकरण के व्यय प्राधिकरण द्वारा बहन किये जायेंगे।

(5) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को निर्दिष्ट अपीलों या विवादों के विनिश्चय में अधिकरण द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहेत की जाए।

(6) अधिकरण को उसे निर्दिष्ट अपील या किसी विवाद की युनवाई या विनिश्चय के संबंध में वे ही शक्तियाँ होंगी जो सिविल प्रक्रिया रांहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय को हैं।

(7) जैसा अन्यथा उपवन्धित है उसके सिवाय इस अधिनियम के किसी उपदंघ से उत्पन्न विवाद प्राधिकरण द्वारा अधिकरण को निर्दिष्ट किया जा सकेगा। अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके समस्त पक्षव्याख्यारों पर बाध्यकारी होगा।

(8) अन्यथा यथा उपवन्धित के सिवाय,—

(क) प्राधिकरण के किसी राज्य या नोटिस से व्यक्ति कोई व्यक्ति, उसे ऐसे आदेश या नोटिस से रांसूचित किये जाने से तीस दिन के भीतर अधिकरण में अपील फाइल कर सकेगा; और

(ख) प्राधिकरण की ओर से किसी ऐसे आशंकित कार्य या क्षति से व्यक्ति कोई भी व्यक्ति, जो उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाली हो, ऐसे आशंकित कार्य या क्षति की संसूचना या जानकारी उसे प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर विवाद अधिकरण को निवेशित कर सकेगा;

और अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

78. निपटारा समिति का गठन।— (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण और अन्य व्यक्तियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अध्यक्ष और इसने अन्य सदरयों से, जितने वह उचित समझे, मिलकर बनने वाली निपटारा समिति का गठन कर सकेगी और ऐसी समिति संबंधित व्यक्ति द्वारा जब भी निवेदन किया जाये, विवाद को सुलझाने का जिम्मा लेगी।

(2) निपटारा समिति को ऐसी शक्तियाँ होंगी और वह ऐसी प्रक्रिया अपनायेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

(3) इस प्रयोजन के लिए पूर्व में गठित कोई भी समिति इस अधिनियम के अधीन गठित की हुई समझी जायेगी।

(4) ऐसी समिति द्वारा किया गया विनिश्चय प्राधिकरण पर वाध्यकारी होगा।

79. प्राधिकरण को देय धन की भू-राजस्व की वकाया के रूप में पसूली।— जहाँ कोई रकम (जो प्राधिकरण के किसी परिसर के संबंध में संदेय किया न हो) जो चाहे किसी अभिव्यक्ति या विवक्षित रूप से किसी करार के अधीन या अन्यथा प्राधिकरण को संदेय हो और निश्चित तारीख पर या इसके पूर्व संदर्भ नहीं की गयी है—

(क) तथा दावा विवादग्रस्त नहीं है तो जोधपुर विकास आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकरण को देय या प्राधिकरण द्वारा दावाकृत राशि उपदर्शित करते हुए कलकटर को अपने हस्ताक्षर से ऐसा प्रमाणपत्र भेजेगा जिसमें वह रकम बतलायी गयी है जो प्राधिकरण को देय है या जिसका दावा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और उस पर कलकटर, देय या दाया की गयी रकम को भू-राजस्व की वकाया के रूप में वसूल करेगा;

(ख) यदि दावा विवादग्रस्त है तो वह अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जो ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, और उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा धन का संदेय होना अभिक्षित है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् मामले का विनिश्चय करेगा और अपने विनिश्चय की संसूचना प्राधिकरण को तुरन्त देगा। अधिकरण के

विनिश्चय से व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर राजरच बोर्ड को अपील कर सकेगा। राजरच बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रशंगत नहीं किया जायेगा। तब कलक्टर उस राशि को भू-राजरच की बकाया के रूप में वसूल करेगा जिसका देय होना अवधारित किया गया है।

80. प्रवेश की शक्ति—(1) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, कार्यकारी समिति, किसी अन्य समिति या उसके किसी कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय का अध्यक्ष या सदस्य, जोधपुर विकास आयुक्त और इस नियमित उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपने सहायकों या कर्मकारों सहित या उनके बिना किसी भी भूमि या भवन में या उसके ऊपर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकेगा—

- (क) कोई जांच करने, निरीक्षण करने, मापने या सर्वेक्षण करने या ऐसी भूमि या भवन का लेवल अंकित करने के लिए;
- (ख) निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करने और गलनालियों और गालियों का गार्म सुनिश्चित करने के लिए;
- (ग) अवमृद्धि वो छोड़ने या बेघने के लिए;
- (घ) निर्माण कार्यों की बाउण्ड्री और आशयित रेखाएं निश्चित करने के लिए;
- (ङ) विहून लगाकर और खाइयां खोदकर ऐसे लेवल, बाउण्ड्री और रेखाएं विहित करने के लिए;
- (च) यह अनिनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी भी भूमि का विकास किसी योजना के उल्लंघन में या बिना अनुज्ञा के या किसी शर्त के उल्लंघन में किया गया है जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञा इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत की गयी है, या
- (छ) कोई भी अन्य कार्य करने के लिए जो इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन वे जिए आवश्यक हो:

परन्तु—

- (i) सूर्योदय और सूर्यरत्न के बीच के समय के सिवाय और अधिभोगी या यदि कोई अधिभोगी नहीं हो तो भूमि अथवा

भवन के रवानी को कम से कम चौबीस घण्टे का सुवित्तुक्त नोटिस दिये विना ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा;

- (ii) जब भी किसी परिसर में बिना नोटिस के अन्यथा प्रवेश किया जाये तो प्रत्येक बार पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा ताकि महिलाओं के लिए रखे गये किसी भाग से महिलाएं परिसर के किसी अन्य भाग में जा सकें जहाँ उनकी वैयक्तिक एकान्तता में विधि न हो; और
- (iii) जिस परिसर में प्रवेश किया जाये उसके अधिगोगियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहाँ तक कि वे प्रवेश की आवश्यकताओं से रंगत हैं, सदैव सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

(2) उप—धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजनार्थ किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोधों को खोलने या खुलवाने के लिए प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा:—

- (क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए उसका खोलना आवश्यक समझता है, और
- (ख) यदि रवानी या अधिगोगी अनुपरिधत है या उपस्थित होने पर वह ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करता है।

81. इस अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील— (1) वे सब दस्तावेज, जिनमें ऐसे नोटिस या आदेश भी आते हैं जिनका इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील करवाया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम या विनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सम्यक् रूप से तामील हुए समझे जायेंगे,—

- (क) जब ऐसा दस्तावेज किसी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, रेलवे कम्पनी, सोसाइटी या व्यक्तियों के किसी अन्य निकाय, जो चाहे नियमित हो या नहीं, तामील किया जाना

है, तब यदि दस्तावेज उस विभाग के अध्यक्ष, रेलवे के महाप्रबन्धक, रथानीय प्राधिकारी, कम्पनी या सोसाइटी या ऐसे ही किसी अन्य निकाय के सचिव या प्रधान अधिकारी को संबोधित, उसके प्रधान कार्यालय, उसकी शाखा या रथानीय या, यथारिति, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर किया गया है और या तो वह—

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है; या

(ii) व्यवसाय के उक्त रथान पर परिदत्त किया जाता है; या

(ख) वह व्यक्ति, जिस पर तामील करायी जानी है, यदि किसी कर्म का भागीदार है तो, यदि दस्तावेज भागीदारी फर्म के नाम उसके प्रधान व्यवसाय रथान के पते पर भेजा जाता है जिससे उसके नाम या अभिनाम की पहचान हो जाये जिसमें व्यवसाय चलाया जा रहा है और या तो वह—

(i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है; या

(ii) व्यवसाय के उक्त रथान पर परिदत्त किया जाता है; या

(ग) किसी अन्य दशां में, यदि ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति को संबोधित किया गया है जिस पर उसकी तामील करायी जानी है और वह—

(i) उसे दिया या निविदत्त किया जाता है; या

(ii) उस व्यक्ति के न गिलने पर उसे उसके निवारा रथान या कारोबार के अन्तिम झात रथान के किसी सहजदृश्य रथान पर चिपका दिया जाता है या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया या निविदत्त किया जाता है या उस भूमि अथवा भवन के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका दिया जाता है जिससे कि वह संबंधित है; या

(iii) उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है।

(2) ऐसा कोई दरतावेज, जिसका किसी भूमि या भवन के रखामी या अधिभोगी पर तामील कराया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत है उस भूमि या भवन के (भूमि या भवन का नाम या वर्णन देते हुए) “रखामी” या, यथारिति, “अधिभोगी” को बिना नाम और वर्णन दिये सम्बोधित किया जायेगा और वह सम्पर्क रूप से तामील कराया गया समझा जायेगा—

- (क) यदि इस प्रकार संबोधित दरतावेज उप-धारा (1) के खण्ड
- (ग) के अनुसार भेजा गया या परिदत्त किया गया है ; या
- (ख) यदि इस प्रकार संबोधित दरतावेज या इस प्रकार संबोधित उसकी प्रतिलिपि भूमि या भवन पर किसी व्यक्ति को परिदत्त की गयी है।

(3) जहाँ कोई दरतावेज इस धारा के अनुसार भागीदारी कर्म पर तामील कराया गया है वहाँ दरतावेज प्रत्येक भागीदार पर तामील कराया गया समझा जायेगा।

(4) किसी दरतावेज को किसी सम्पत्ति के रखामी पर तामील कराये जाने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए जोधपुर विकास आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा उस सम्पत्ति के अधिभोगी से, यदि कोई हो, उसके रखामी का नाम और पता प्रकट करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) जहाँ इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों में उपदर्शित रीति से किसी व्यक्ति पर किसी दरतावेज की तामील कराने का प्रयास असफल हो गया है वहाँ यदि तामील किये जाने वाले दरतावेज का नोटिस किसी प्रमुख दैनिक रथानीय हिन्दी समाचार—पत्र में प्रकाशित किया जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति पर उस दरतावेज की प्रभावकारी तामील समझी जायेगी।

82. प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक समझा जाना।—प्राधिकरण का प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी और प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य उसकी कार्यकारी समिति, अन्य समितियों और उसके कृत्यकारी बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित अन्य निकायों का प्रत्येक सदस्य भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थात् लोक सेवक समझे जायेंगे।

83. रथानीय प्राधिकारियों द्वारा उद्घाटनीय करों के बदले में प्राधिकरण द्वारा एकमुश्त अभिदाय.— (1) उन नियमों के अधीन रहते हुए जो कि इस अधिनियम के अधीन चलाये जा सकें और इस तथ्य का ध्यान रखते हुए कि किसी रथानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में आने वाले बोत्रों में समरत या किन्हीं शुख-सुविधाओं का उपबन्ध, जो रथानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाते हैं, प्राधिकरण रखते करता है तो प्राधिकरण ऐसे कोई कर देने का दायी नहीं होगा जिनमें सम्पत्ति कर, यदि कोई हो, भी आता है, किन्तु रथानीय प्राधिकारी के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्राधिकरण के साथ यह करार करना विधिपूर्ण होगा कि यह समरत या किन्हीं भी उद्घाटनीय करों या रथानीय प्राधिकारी द्वारा की गयी सेवाओं के बदले में प्राधिकरण से एकमुश्त अभिदाय प्राप्त करे।

(2) जहाँ उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट ऐसा कोई करार नहीं किया जा सके तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और रथानीय प्राधिकारी और प्राधिकरण को सुने जाने का सुवित्तयुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार ऐसे अभिदाय की रकम का विनिश्चय कर सकेगी। राज्य सरकार का विनिश्चय दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

84. कतिपय मामलों में प्राधिकरण के दावों को तुकाने के लिए वेतन या मजदूरी में से कटौती.— (1) प्राधिकरण के साथ संव्यवहार करने वाला कोई व्यक्ति प्राधिकरण के पक्ष में एक करार निष्पादित कर सकेगा जिसमें यह उपबन्ध होगा कि नियोजक द्वारा उसको संदेय वेतन या मजदूरी में से नियोजक ऐसी रकम, जो करार में विनिर्दिष्ट की जाये, काटने और इस प्रकार काटी गई रकम का संदाय प्राधिकरण को उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राधिकरण के किसी उधार या मांग की तुष्टि में करने में सक्षम होगा। ऐसे करार के साथ नियोजक की लिखित सम्मति होगी।

(2) ऐसे करार के निष्पादन पर प्राधिकरण द्वारा लिखित अध्यपेक्षा द्वारा अपेक्षा किये जाने पर नियोजक करार के अनुसार तब तक कटौती करेगा जब तक कि प्राधिकरण ऐसे सारे उधार या मांग के संदर्भ किये जा चुकने की सूचना नहीं देता, और ऐसी काटी गयी रकम का संदाय

प्राधिकरण को करेंगा मानो कि वह मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) के अनुसार नियोजक द्वारा संदेय वेतन या मजदूरी का भाग उस तारीख को है जिस पर नियोजक संदाय करता है।

(3) पूर्वगामी उप-धारा के अधीन की गयी अध्यपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात् यदि नियोजक ऐसे व्यक्ति को संदेय वेतन या मजदूरी में से अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट रकम को काटने में किसी भी समय असफल हो जाता है या काटी हुई रकम को प्राधिकरण को भेजने में चूक करता है तो नियोजक उसका भुगतान करने लिए व्यक्तिगत रूप से दाढ़ी होगा और प्राधिकरण की ओर से ऐसी रकम नियोजक से भू-राजरच की बकाया के रूप में बसूलीय होगी।

85. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण।— (1) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन इस अधिनियम के अधीन जोधपुर रीजन के शेहों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी गयी नीति और अधिकथित मार्गदर्शन के अनुसार करेगा।

(2) प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए समय-समय पर जारी किये जायें।

(3) यदि, प्राधिकरण के इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में, प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो गामले का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और उसका विनियोग अंतिम होगा।

86. स्थानान्तरण करने की शक्ति।— प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को धारा 91 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजरथान आवासन बोर्ड या किसी भी नगर सुधार न्यास या किसी भी नगरपालिका में ऐसे पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा जिसका वेतनमान स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के वेतनमान से निम्नतर नहीं हो:

परन्तु इस प्रकार से स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी का धारणाधिकार प्राधिकरण में बना रहेगा और जब कभी प्राधिकरण में उसके

काउर में के उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाये, तब आगे पदोन्नति के लिए उस पर विचार किया जायेगा।

87. प्राधिकरण को विवरणियाँ, रिपोर्ट आदि मंगवाने की शक्ति— प्राधिकरण को जोधपुर रीजन में के किसी रथानीय प्राधिकारी से या अन्य प्राधिकारी से या किसी अन्य व्यक्ति से जिससे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इसकी शक्तियों के प्रयोग और इसके कर्तव्यों के पालन करने की इसके द्वारा अपेक्षा की जाये, कोई विवरणी, लेखों का विवरण, रिपोर्ट, आंकड़े या अन्य सूचना मंगवाने की शक्ति होगी और ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसी रूपना देने के लिए वाध्य होगा।

88. अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना— इस अधिनियम के उपर्युक्त तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात से असंगत होने पर भी प्रभावी होंगे।

89. शक्तियों का प्रत्यायोजन— (1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से भिन्न अपनी सब या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन अपने अधीनरथ किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।

(2) कोई गारंटर विकास योजना, जोनल विकास योजना या विनियम बनाने की अपनी शक्ति को छोड़कर प्राधिकरण इस अधिनियम या इसके अधीन के विनियमों द्वारा प्रयोक्तव्य अपनी शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन सरकार के किसी अधिकारी को, जोधपुर रीजन में कार्य कर रहे किसी रथानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या निकाय को या कार्यकारी समिति या किसी कृत्यकारी बोर्ड को या जोधपुर विकास आयुक्त को या उसके अधीनरथ किसी अधिकारी को एक संकल्प द्वारा इस संकल्प में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन कर सकेगा:

परन्तु सरकार के किसी अधिकारी को, रथानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या निकाय को इस उप-धारा के अधीन शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन, राज्य सरकार या रथानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या, यथास्थिति, निकाय की सम्मति से किया जायेगा।

90. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निरन्तर कर्तव्यों का पालन करना।— (1) इस अधिनियम में किसी बात के होने पर भी जोधपुर रीजन में समस्त प्राधिकारी, अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपने कृत्यों का निर्वहन और अपने कर्तव्यों का पालन जो प्राधिकरण की किसी याजना या रकीम से असंगत न हो, निरन्तर करते रहेंगे।

(2) किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किसी प्लान, रकीम, परियोजना या इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी निवेश की क्रियान्विति किये जाने में विफल रहने की दशा में प्राधिकरण, जोधपुर रीजन के विकास के लिए यदि उचित समझ तो राज्य सरकार की मंजूरी से और राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों की ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये ग्रहण कर सकेगा और उस दशा में ऐसा स्थानीय प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी उक्त तारीख से ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करना बन्द कर देगा।

91. नियम बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार समय-समय पर, सामान्यतः इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ, और उसके अधीन किसी ऐसे विशिष्ट मामले को विनियमित करने के लिए नियम बना सकेगी जिसका विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसके संबंध में नियम बनाए जाना या बना सकना अपेक्षित हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियम राजपत्र में प्रकाशित होंगे।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन में जब कि वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की कालावधि के लिए रखे जायेंगे यह कालावधि एक सत्र अथवा दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र जिरामें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक

पश्चात् वर्ती सब की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का रादन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो ऐसे नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी या व्याख्यित, अप्रभावी रहेंगे, किन्तु ऐसा उपान्तरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं लालेगा।

92. विनियम बनाने की शक्ति— (1) प्राधिकरण समय-समय पर, विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपलब्धित किये जाने वाले रामरत या किन्हीं मामलों के लिए और रामान्यता: अन्य रामरत मामलों के लिए विनियम बना सकेंगे जिनके लिए प्राधिकरण की राय में इस अधिनियम के अधीन इसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उपयोग आवश्यक हैं।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो गया हो।

(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम को पूर्णतः या भागतः निरसित या उपान्तरित कर सकेगी परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार प्राधिकरण को वे आदार संसूचित करेगी जिन पर ऐसा किया जाना वह प्रस्तावित करती है, और प्राधिकरण के लिए प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बतलाने के लिए युक्तिपूर्वक कालायधि नियत करेगी, और प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आदेषों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(4) किसी विनियम का निरसन या उपान्तरण, यदि उसमें कोई तारीख विनिश्चित नहीं की गयी है तो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा और ऐसी तारीख के पूर्व की गयी, लोपित की गयी या होने वी गयी कोई बात उससे प्रभावित नहीं होगी।

93. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति— यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जब भी अवसर हो लेकिन वह उस तारीख से जिसको प्राधिकरण की स्थापना हुई है दो वर्ष पश्चात् नहीं हो, आदेश द्वारा कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो कि इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से असंगत नहीं हो और जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो।

94. प्राधिकरण का विघटन— (1) यहां राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि वे प्रयोजन, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गयी थीं, सारान् रूप से पूरे किये जा चुके हैं जिसके कारण राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का अस्तित्व में बना रहना आवश्यक नहीं रह गया है, यहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी कि प्राधिकरण ऐसी तारीख से विघटित हो जायेगा जो अधिसूचना में विगिर्हिट की गयी है और प्राधिकरण तदनुसार विघटित हुआ समझा जायेगा।

(2) उक्त तारीख से—

- (क) समरत आस्तियां, सम्पत्तियां, निधियां जो प्राधिकरण में निहित थीं और वकाया जो उसके द्वारा वसूलीय हैं, राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा वसूलीय होंगी;
- (ख) प्राधिकरण में निहित, उससे रसंघित या उसके व्यवनाधीन सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेगी;
- (ग) समरत देयताएं, जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी; और
- (घ) किसी विकास के निष्पादन के प्रयोजन के लिए जो प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः निष्पादित नहीं किया गया है

और खण्ड (क) में निर्दिष्ट आस्तियों, सम्पत्तियों, निधियों और वकायाओं की वसूली के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

95. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।— (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी सिविल न्यायालय ऐसे मामले का संझान नहीं करेगा जिसका इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण, कार्यकारी रामिति, जोधपुर विकास आयुक्त, कृत्यकारी बोर्ड, उसके किसी निकाय, अधिकरण या राज्य सरकार द्वारा तिनिहत किया जाना या विचार जा सकना अपेक्षित है।

(2) इस अधिनियम में आयोगकर्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है, उसके सिवाय राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश या प्राधिकरण को दिया गया निदेश या प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश या जारी किया गया नोटिस अंतिम होगा और किसी बाद या अन्य विधिक कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

96. नगर सुधार न्यास, जोधपुर का विघटन और व्यावृत्तियाँ।— (1) राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इसमें इसके पश्चात् “उक्त अधिनियम” कहा गया है और उसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों और उपविधियों में कोई बात होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन जोधपुर रीजन के लिए प्राधिकरण के गठन की तारीख से, जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा गठन कहा गया है—

- (क) जोधपुर का नगरीय क्षेत्र नगर सुधार न्यास, जोधपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यास कहा गया है) में निहित नहीं रहेगा तथा न्यास उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करना या कृत्य करना बंद कर देगा;
- (ख) जोधपुर के नगरीय क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र में कार्य करने वाला न्यास ऐसे गठन के तुरन्त पूर्ण विघटित हो जायेगा;

- (छ) न्यास से संबद्ध और ऐसे क्षेत्र के विकास या सुधार और इससे संबंधित योजनाओं और रकीमों और कामजातों को समर्लित करते हुए जो कि खण्ड (च) में निर्दिष्ट किये गये हैं, समरत अग्निलेख और कामजात प्राधिकरण में निहित होंगे और इसको अन्तरित हो जायेंगे;
- (ज) न्यास के अधीन सेवारत प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी ऐसे गठन के होने पर और गठन के समय प्राधिकरण को छह मास की कालावधि के लिए अरण्यायी तौर पर रथानान्तरित समझे जायेंगे जिस कालावधि के भीतर जब तक कि यह अन्यथा बढ़ाई न जाये, प्राधिकरण उनके ऐसी रीति से रक्कीर्णिंग के पश्चात् जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, उनको ऐसे पदों तथा ऐसे पदनामों पर जो कि प्राधिकरण अवधारित करे, रावा में आमेलित करेगा। प्राधिकरण की रोका में इस प्रकार आमेलित अधिकारी और कर्मचारी ऐसी पदावधि तक, ऐसे पारिश्रमिक पर और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारण कर सकेंगे जैसा कि यह उस समय धारण करते यदि प्राधिकरण गठित नहीं होता, और इस प्रकार तब तक निरन्तर धारण करते रहेंगे जब तक कि ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तें प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं। ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों में से वे जो प्राधिकरण द्वारा इसकी सेवा में आमेलित नहीं किये जाते हैं, न्यास के अधिरोप अधिकारी और कर्मचारी समझे जायेंगे और राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी की सेवा में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, ऐसे पदों पर, ऐसे पदनामों पर, ऐसे वेतन तथा भत्तों पर, सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जायें, आमेलित किये जायेंगे किन्तु उन्हें पदों पर ऐसे

- (ग) ऐसे गठन के पूर्व जोधपुर के नगरीय क्षेत्र में स्थित और ऐसे क्षेत्र के विकास अथवा सुधार करने या कराने के प्रयोजनार्थ न्यास में निहित समरत भूमि, भवन और अन्य सामान्य सम्पत्तियाँ (उसमें हर प्रकार के और किसी के समरत हितों सहित) इस प्रकार गठित प्राधिकरण को चली जायेगी, और उसमें निहित हो जायेगी;
- (घ) ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व ऐसे क्षेत्र के विकास या सुधार करने या कराने के प्रयोजन के लिए न्यास से संबंधित, उसके द्वारा धारित समरत रटोर, वर्तुएं या अन्य जंगल सम्पत्तियाँ इस प्रकार रखापित प्राधिकरण को चली जायेगी और उसमें निहित हो जायेगी;
- (ङ) ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व या ऐसे क्षेत्र के संबंध में न्यास द्वारा किये गये समरत निर्धारण, मूल्यांकन, माप या विभाजन जहाँ तक इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं पहाँ तक नहीं रहेंगे और जब तक वे प्राधिकरण द्वारा किये गये निर्धारण, मूल्यांकन, माप या विभाजन द्वारा अतिषिठ नहीं किये जायें तब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे;
- (च) जोधपुर के नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित किए किसी क्षेत्र के विकास या सुधार के लिए और उक्त अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समरत योजनाएं, रक्कीमें, जहाँ तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समझी जायेगी और ऐसी कोई योजना या रक्कीम जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व प्रवृत्त हुई थी, वह प्रवृत्त रहेगी जहाँ तक कि उसका निर्वाह इस अधिनियम के अधीन अन्यथा किया गया है;

निवासों पर आमेलित नहीं किया जायेगा जो वेतन और
मर्तों के मामले में उनके लिए कम लाभप्रद हों।

परन्तु –

- (i) ऐसे गठन के पूर्व इस प्रकार आमेलित किसी
अधिकारी या कर्मचारी द्वारा की गयी कोई सेवा
प्राधिकरण के अधीन की गयी सेवा समझी
जायेगी; और
- (ii) इस प्रकार आमेलित न किये गये अधिशेष
अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण की सेवा में
कोई रहेंगे और उनके वेतन और मर्ते प्राधिकरण
की गिरि से तब तक संदर्भ किये जायेंगे जब
तक कि वे उपर्युक्त प्रकार से सच्च सरकार द्वारा
आमेलित न कर लिये जायें;
- (iii) उक्त अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या किया
गया कोई कार्य जिसमें की गयी कोई नियुक्ति,
प्रत्यायोजन, आदेश, बनाई गई स्कीम, नियम, उपविधियाँ,
विनियम या जारी की गयी अधिसूचना या स्वीकृत की
गयी अनुज्ञा आती है, जहां तक वह इस अधिनियम के
उपर्युक्तों से असंगत नहीं है, वह प्रवृत्त रहेगी और इस
अधिनियम के उपर्युक्तों के अधीन की गयी समझी जायेगी
जब तक कि वह उक्त उपर्युक्तों के अधीन की किसी बात
या किसी कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती है;
- (j) ऐसे गठन के पूर्व उस क्षेत्र के लिए न्यास द्वारा उपगत
सब उधार, बाध्यताएं और देयताएं उसके द्वारा या उसके
साथ ही की गयी समरता संविदाएं उसके द्वारा किये गये
भूमि के समरत अन्तरण और आवंटन और जोधपुर के
नगरीय क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र में या उसके संबंध में उसके

द्वारा बातों और कार्यों का किया जाना ठहराया गया है वे सब प्राधिकरण के द्वारा उसके साथ और उसके लिए उपगत की गयी या करने के लिए ठहरायी गयी रामङ्गी जायेंगी;

- (ट) इस अधिनियम में किसी बात के दोनों पर भी ऐसे गठन के पूर्व न्यास के द्वारा या उसकी ओर से की गयी कोई सोमणा, किये गये आवेदन, प्रकाशन, जारी अधिरूपना, नियुक्ति, आदेश, किया गया भूमि का आवंटन, प्ररक्षाव, पंचाट, की गयी कार्यवाही, परामर्श, जोच, प्रमाणीकरण, किया गया समझौता, मंजूरी, करार, नोटिस, अनुग्रहन, विनिश्चय, विवाद, किसी विधिक कार्यवाही का प्रत्याहरण करना, बनायी किसी आतिम रकीम या किये गये कार्य की विवाद्यता इस प्रकार समझे जायेंगे जैसे वे प्राधिकरण के द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन घनाये गये, जारी किये गये, किये गये या बनायी गयी थी;
- (ठ) किसी विधिक कार्यवाही, किसी प्रशमनीय अपराध या किसी रवीकृत दावे में या उरासे न्यास द्वारा या उसकी ओर से ऐसे गठन के पूर्व, किये गये समरत समझौते, प्रतेवाद या प्रत्याहरण, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किये गये समझे जायेंगे और प्राधिकरण के द्वारा या विरुद्ध उसी प्रकार प्रभावी हो सकेंगे जैसे कि वे ऐसे गठन के पूर्व न्यास द्वारा उसके विरुद्ध प्रवृत्त होते थे;
- (ड) न्यास द्वारा उसके लिए या उसके विरुद्ध संरिथत किये गये समरत वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां प्राधिकरण के द्वारा या उराके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संरिथत की जा सकेंगी;

द्वारा बातों और कार्यों का किया जाना ठहराया गया है वे सब प्राधिकरण के द्वारा उसके साथ और उसके लिए उपगत की गयी या करने के लिए ठहरायी गयी समझी जायेंगी;

- (ट) इस अधिनियम में किसी बात के होने पर भी ऐसे गठन के पूर्व न्यास के द्वारा या उसकी ओर से की गयी कोई घोषणा, किये गये आवेदन, प्रकाशन, जारी अधिसूचना, नियुक्ति, आदेश, किया गया गृहि का आवंटन, प्ररत्नाव, पंचाट, की गयी कार्यवाही, परामर्श, जांच, प्रमाणीकरण, किया गया रामङ्गला, गंजूरी, करार, नोटिस, अनुगोदन, विनिश्चय, विवाद, किसी विधिक कार्यवाही का प्रत्याहरण करना, बनायी किसी अंतिम रक्षीय या किये गये कार्य की विधिगान्धा इस प्रकार रामङ्गले जायेंगे जैसे पे प्राधिकरण के द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये, जारी किये गये, किये गये या बनायी गयी थी;
- (ठ) किसी विधिक कार्यवाही, किसी प्रशसनीय अपराध या किसी रवीकृत दावे में या उससे न्यास द्वारा या उसकी ओर से ऐसे गठन के पूर्व, किये गये समरत समझौते, प्रतिवाद या प्रत्याहरण, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किये गये समझे जायेंगे और प्राधिकरण के द्वारा या विरुद्ध उसी प्रकार प्रभावी हो सकेंगे जैसे कि वे ऐसे गठन के पूर्व न्यास द्वारा उसके विरुद्ध प्रवृत्त होते थे;
- (ड) न्यास द्वारा उसके लिए या उसके विरुद्ध संरित किये गये समरत वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां प्राधिकरण के द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संरित की जा सकेंगी;

- (ळ) न्यास में निहित समरत जंगम और स्थावर सम्पत्तियां और किसी सम्पत्ति में समरत अधिकार, रखत्व और हित प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और न्यास के कब्जों में की ऐसी समरत सम्पत्तियां प्राधिकरण के कब्जों में समझी जायेगी;
- (८) न्यास को देय समरत किए ए. फीस और अन्य धनराशियां प्राधिकरण को देय समझी जायेंगी ; और
- (त) समरत राशियां या प्रभार जिनका कि न्यास, ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व जोधपुर नगरीय बोर्ड की किसी भूमि के विकास या सुधार के लिए या उसके उपर्यांत में उद्ग्रहण, निर्धारण और वसूल करने का हकदार था, इस अधिनियम के तत्त्वानी उपबन्धों के अधीन प्राधिकरण द्वारा उद्गृहीत, निर्धारित और वसूल किये जाते रहेंगे।
- (2) न्यास के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए जहां राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) या राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 24) के उपर्यांतों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है तो वह उपर्युक्त विधियों के उपर्यांतों के अधीन और उसके अनुसार जारी रहेगी और पूर्ण की जायेगी।

97. निरसन और व्यावृत्तियां.— (1) जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी जोधपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2008 (2008 का अध्यादेश सं. 5) के अधीन की गयी कोई भी बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गयी समझी जायेगी।

अनुसूची - 1

- जोधपुर शीजन में आने वाले शहर, कस्बों और गांवों की सूची
- | | |
|-----|--------------------|
| १. | शहर |
| १. | जोधपुर शहर |
| २. | कस्बे |
| २. | मण्डार |
| ३. | पाल |
| ४. | आलामगढ़ |
| ५. | वाणा (रुद्रगढ़) |
| ६. | कुड़ी भगतासांगे |
| ७. | सालीवारा |
| ८. | सांपारिया |
| ९. | ग्राम तहसील जोधपुर |
| १०. | आकथली |
| १०. | अलरायड़ा |
| ११. | आमधाना |
| १२. | आसारासाड़ा |
| १३. | बड़लिया |
| १४. | याला कुआ |
| १५. | बन्धोर दर्जियान |
| १६. | बन्धोर पुरोहितान |
| १७. | बगाड़ |
| १८. | बानियावारा |
| १९. | बांवरला |
| २०. | बड़ली |
| २१. | वारानी बगेला |
| २२. | वासनी बैदा |
| २३. | वासनी झूडा |
| २४. | वासनी कड़वुड़ |
| २५. | वासनी लाऊं |

26. वासनी निकूदा
27. वासनी रोफा
28. वासनी सिलापटा
29. पेवटा
30. वेरु
31. भगतारानी
32. भगतासनी खालरा
33. भाकरासनी
34. भाण्डू कर्ला
35. भाण्डू खुर्द
36. भिडकगली
37. दिडासनी
38. दिरामी
39. विरडावारा
40. विसलपुर
41. दूजावड़
42. घोरानाडा
43. घोरायस
44. घंवां
45. घारण वासनी
46. घोखा गय ठक व घन्ध उमेद रामर
47. घावण्डा
48. घीघड़ली
49. छालो (छाली)
50. दर्झजर
51. दर्झकडा
52. डांगियावास
53. दांतीवाडा
54. देवलिया
55. देसूरिया खारोल (देसूरिया खारोला)

56. देसूरिया विश्नोईयां
57. धाधिया (धोधिया)
58. धवा
59. धिगाणा
60. डोली
61. डोली—का—कगणी
62. डोलिया (रोलिया)
63. फीच (कीच)
64. गंगाणा
65. गेलावास
66. घटियाता
67. घडाख
68. गोलासनी
69. गोलिया
70. गुजरवास कलां
71. गुजरवास खुर्द
72. गुड़ा विश्नोईयां
73. हिंगोता
74. इन्द्रोका
75. जाजीवाल भण्डारिया
76. जाजीवाल भाटिया (जाजीवाल भाषेटडा)
77. जाजीवाल ग्राहमण
78. जाजीवाल धाधला
79. जाजीवाल गहलोता
80. जाजीवाल कलां
81. जाजीवाल कंकराला
82. जाजीवाल खीधिया
83. जाजीवाल कुतडी
84. जालेली चंपावतां
85. जालेली दईकड़ा

36. जालोली फोजदारान
37. जानादेरार
38. जटियासनी
39. जाटियावास
40. झालामण्ड
41. झंवर
42. झीपासनी
43. जोगियासनी
44. जोलीयाली
45. कौंकाणी
46. बगकेलाव
47. कालीजाल
48. कानावारा—का—पान॥
49. कराणी
50. कड़वड
51. कटारा
52. कैरु
53. खारावेरा गीगीतान
54. खारावेरा पुरोहितान
55. खारडा माण्डू
56. खारडा रगधीर
57. खटावास
58. खातियासनी
59. खेजड़ली कलाँ
60. खेजड़ली खुर्द
61. खोखरी
62. खोखरिया
63. खुड़ाला
64. कुकण्डा
65. लेंगा की ढाणी

116. लूणावास चारणा
117. लूणावास कला
118. लूणावास सारा
119. लूणावास खुर्द
120. लोरडी दर्झियरा
121. लोरडी डोलियारा
122. लोरडी पंडितजी
123. मागेडा कला
124. मागेडा खुर्द
125. माणार्द
126. माणकलाव
127. मेगलासिया
128. भियासनी
129. गोडाथली
130. गोडी जोशियन
131. गोडी सूथडा
132. गोकलावास
133. गोरदुपा
134. गान्दडा कला
135. गान्दडा खुर्द
136. नान्दडी
137. नन्दवाणा
138. नारनाडी
139. नारवां खियियन
140. निम्बला
141. पालासनी
142. पालडी खीचियाँ
143. पालडी मांगलिया
144. पालडी पंवारान
145. पीथासनी

146. फीथावास
147. पेशावास (पेशावास)
148. फिटकासनी
149. पोपावास
150. रायडिया
151. राजपुरिया
152. राजवा
153. रालावास
154. ररीदा
155. रेंदडी
156. रोहीचा कलां
157. रोडीचा खुर्द
158. रुडकली
159. रोयाला गाप्सू
160. रोयाला कलां
161. रोयाला खुर्द एवं फलारिया
162. सजाडा (सगाडा)
163. सानोडी
164. सालवां कलां
165. संगरिया (सांगरिया)
166. सांगासनी
167. सर
168. सरेचा
169. सतलाना
170. सिकारएरा
171. सिंगासनी
172. सिनली (सींगली)
173. सिरोडी
174. सूरज वासनी
175. सूरपुरा
176. सुवडन्ड

177. लगावडा)
 178. थयुकडा
 179. उवियारडा
 180. विशावास (पिशावास)
 तहसील औरिया
 181. वालखा
 182. बडा कोटेचा
 183. बांडी
 184. वारानी पालां
 185. वावडी
 186. वीज वाडिया
 187. मैरारे तालोडियाली
 188. मैसेर कहारी
 189. मैसेर कोटवाली
 190. भटकौरिया
 191. भवाद
 192. चिराई
 193. योदडी कलां
 194. योवडी खुर्द
 195. युवेटी
 196. चंगावडा चारण
 197. चंगावडा कलां
 198. चंगावडा खुर्द
 199. चौपारानी चारण
 200. डोली नरेवा
 201. गंगाणी
 202. जोई-तरा
 203. जुड़
 204. कारटी
 205. खारी खुर्द
 206. कोटडा
 207. लयेरा

- 208. लूणावासिया
- 209. मैलाना
- 210. मालूंगा
- 211. मथानिया ;
- 212. नवा नागरिया
- 213. नेरवा चारणां
- 214. नेतड़ा
- 215. राजासनी
- 216. रामपुरिया शाटिया
- 217. सातोडा कलां
- 218. सातोडा खुर्द
- 219. सांचत कुआ कलां
- 220. सांचत कुआ खुर्द
- 221. सेपकी कलां
- 222. सेवकी खुर्द
- 223. सूरपुरा कलां
- 224. तिंचरी
- 225. उजालिया
- 226. उम्मेद नगर
- तहसील शेरगढ़
- 227. आगोलाई
- 228. चासनी भन्नां
- 229. धासरली
- 230. गटेलाई चारणां
- 231. भाटेलाई—पुरोहितां
- 232. दूगर
- 233. सुराणी
- 234. तालेसर चारणां
- 235. तालेसर पुरोहितान

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव।